

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 455 OF 2015

IN THE MATTER OF:

DR. DEVASHISH BHATTARCHAYA**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.**RESPONDENT(s)**

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDERS PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE MINUTES OF MEETINGS DT. 25.04.2022 AND 10.08.2022 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. AUGUST 2023 AND 03.09.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 2.	

4.	COPY OF THE EMAIL LETTER DT. 11.10.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 3.	
----	--	--

DATE: 15.05.2025

PLACE: AGRA

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 455/2015****IN THE MATTER OF:**

DR. DEVASHISH BHATTACHARYA


....PETITIONER**VERSUS**

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

....RESPONDENTS**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6**
DISTRICT MAGISTRATE, AGRA TO THE ORIGINAL
APPLICATION NO. 455/2015

I, Aravind Bangari S/o Shri Mallappa, aged about 43 years working as District Magistrate, Agra having an office at Agra (U.P.) do hereby state on solemn affirmation as under :

1 That the Deponent is currently posted as District Magistrate, Agra and is authorized and competent to sign the captioned affidavit. That the Deponent is the




Respondent No. 6 in the present above stated matter and is being well conversant with the facts of the present case and is deposing herein below.

2. That the Deponent has read the contents of the Original Application, and he is thereafter giving the reply to the averments made in the Application, however before giving the reply to the contents of the Original Application, the factual matrix is stated below:-

PRELIMINARY OBJECTIONS:

3. That the captioned Original Application bearing No. 455/2015 was filed by the Applicant alleging that large scale pollution is being caused in Agra city by unorganized 'Petha' manufacturing industry and the Applicant prayed for directions from this Hon'ble Tribunal for stopping using of fossil fuels for manufacturing of 'Petha' and also sought directions to the Petha manufacturers not to dispose of waste products in sewage or in open places in Agra as per directions of Hon'ble Supreme Court of India passed in **Writ Petition (Civil) No. 13381 of 1984 Shri M.C. Mehta Vs. Union of India & others.**

4. That it is submitted that with a view to shift Petha manufacturing business from the heart of city of Agra which




were spreading pollution, Agra Development Authority, Agra carved out a separate Colony in the year 1998 in Kalindi Vihar area called "Petha Nagari" where it proposed to shift Petha units from the heart of city of Agra to Kalindi Vihar Area Petha Nagari, Agra.

5. That the Petitioner is seeking relief in respect of relocation of the Petha manufacturers in the city of Agra to a distant place. The cause of action stated in the Original Application does not concern with the Answering Respondent as Agra Development Authority (Respondent No. 4) has already taken necessary action on its part as stated in the above para.

PARAWISE REPLY:


1. That the contents of Para 1 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
2. That the contents of Para 2 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, however it is stated that Respondent No. 4 (Agra Development Authority) has already made a scheme for relocation of the Petha manufacturing in Sector B, Kalindi Vihar Scheme, Agra.

That the contents of Para 3 of the O.A is admitted only to the extent that that the Petha manufacturing unit is a cottage



industry and has been in operation since centuries giving employments to local people within the city. Efforts are being made by Respondent No. 4 (Agra Development Authority) and District Administration for shifting of Petha manufacturing units from the city to Kalindi Vihar Scheme. It is also submitted that a total number of 153 plots have been earmarked for Petha manufacturers in Kalindi Vihar Scheme out of which 104 plots have been already allotted to Petha manufacturers and rest 49 plots are in the process for allotment.


4. That the contents of Para 4 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, however it is submitted that that Petha manufacturing units are registered in the Department of Food and Drug Administration and does not fall in the purview of Directorate of Industries, U.P.
5. That the contents of Para 5 to 10 of the O.A. is wrong and denied being false. It is submitted that the Petha manufactures have already been shifted to the Petha Nagari developed by the Agra Development Authority at Kalindi Vihar. It is further submitted that there is no use of Coal/coke/wood in the Agra city within Taj Trapezium Zone and now the primary source of fuel is gas, moreover, the Applicant has himself admitted in paragraph no. 5 that the use of Coal/coke/wood in Taj Trapezium Zone is regulated. It is further



submitted that in the 56th meeting dated 25.04.2022 of 'Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority (Answering Respondent) direction has been given to Additional District Magistrates (City), Agra that coal/coke/ wood/leather cutting should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing unit under any circumstances. Similarly, it is the responsibility of Sub-Divisional Magistrates (SDM's) in Tehsils that coal/coke/ wood/leather cutting should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing units. Subsequently, Answering Respondent in its 57th meeting dated 10.08.2022 has given direction to the District Magistrate, Agra to ensure that coal/coke/wood /leather cutting should not be used in any condition in the production of Petha. Similarly, it should be ensured in Tehsils through Sub-Divisional Magistrates (SDM's) that coal/coke/ leather/wood should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing units and hence there is no violation of the order of the Hon'ble Supreme Court passed on dated 30.12.1996 in the Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & Others). A Copy of the Minutes of meetings of the Answering Respondent dated 25.04.2022 and 10.08.2022 is annexed herein and marked as

Annexure -1 'Colly'.


That the contents of Para 11 are wrong and denied being false, it is submitted that the Judgment and order of the



Hon'ble Supreme Court has been complied in letter and spirit. There is no violation of the Hon'ble Supreme Court's order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & others). It is further submitted that Joint efforts are being made by the concerned departments to curb the industrial pollution, vehicular pollution, bio-mass and solid waste burning, construction and road dust etc. for improving the ambient air quality in Taj Trapezium Zone, which is being monitored regularly by concerned departments. As a result of these efforts in the year 2023 Agra has been awarded 2nd Prize Nationally in category-1 (more than 10 lac Population) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Program (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. In the year 2024 also, Agra has been awarded 3rd Prize Nationally in category-1 (more than 10 lac pollution) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Program (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. A Copy of letter dated August 2023 and 03.09.2024 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is annexed herein and marked as

Annexure 2 'Colly'.

7. That the contents of Para 12 to 13 of the O.A. is wrong and denied being false, it is submitted that the Judgment and




order of the Hon'ble Supreme Court order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & others) has been complied in letter and spirit. It is also pertinent to mention here that the article titled '*Environmental Management of Petha Industry in Agra City*' published in the Journal of Civil Engineering and Environmental Technology was published in August 2014 which is more than 10 year old. Presently, it is submitted that the situation is different as the Petha manufacturing units are using commercial LPG as a fuel and regular monitoring is being done by the District Administration, Agra and whenever, if any Petha Manufacturing units are found operational by coal/coke/ wood etc. strict action is being taken by the District Administration along with Police, Municipal Corporation and U.P. Pollution Control Board.

8. That the contents of Para 14 to 24 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent and being matter of records, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.

9. That the contents of Para 25 to 28 of the O.A. so far as related to the Answering Respondent are incorrect, false and denied.

It is stated that the Agra Development Authority has already provided the basic infrastructure i.e. road, surface drain, sewerage, surface pavement, water supply pipeline, electricity




etc. in Petha Nagari. It is also submitted that Agra Development Authority has also allotted a plot specifically to M/s Green Gas Ltd. in Petha Nagari for CNG station and the possession of the plot has also been handed over to the gas company. Thus, all the necessary infrastructure as required by the Petha industry is developed by the Agra Development Authority.

10. That the contents of Para 29 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.

11. That the contents of Para 30 of the O.A. is wrong and denied. It is submitted that in compliance of order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (Civil) No. 13381 of 1984 (M.C Mehta V/s Union of India and Ors.) by the Hon'ble Supreme Court of India, 24 hours electric supply is being provided by Torrent Power Ltd. under Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. A copy of the e-mail letter dated 11.10.2024 sent by Torrent Power Ltd. is annexed herein and marked as


SMA 635 ^{20/12} **Annexure-3.**

That the contents of Para 31 of the O.A is wrong, false and hence denied, the reply to the said Para has already been given in Paras above, if any contrary then the Answering Respondent denies the same in toto.



13. That the contents of Para 32 of the O.A need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
14. That the contents of Para 33 of the O.A the reply to the said Para has already been given in Paras above, if any contrary then the Answering Respondent denies the same in toto.
15. That the contents of Para 34 to 36 need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
16. That considering the averment made in above Paras, it is respectfully submitted that this Hon'ble Tribunal may kindly dismiss the present Original Application of the Applicant as against the Respondent no. 6.

In view of the facts/contentions and submission set in present Reply Affidavit, the Answering Respondent No. 6 prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the present Original Application as prayed therein.



DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-mentioned Deponent, do hereby verify that the contents of the above Affidavit and the Annexure herewith are true and correct to the best of knowledge, no part of its false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at AGRA on this day of 26 APR. of 2025.

DEPONENT

Case No. A/ 635/2025
Explained to Shri Ajay Singh Bangari
Read by Wolter as D-mr Agri
who understood the contents
solemnly affirmed & declare on
oath on 26/4/2025
at Agra
identified by [Signature]

[Signature]
26/4/2025

दिनांक 25.04.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 56वीं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगणों/अधिकारियों/विशिष्ट आमंत्रियों के स्वागतोपरान्त 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 56वीं बोर्ड बैठक आरम्भ की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक-1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु सं0-1

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि-

'प्राधिकरण' की गत सम्पन्न बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0-2

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 55वीं बैठक दिनांक 16.12.2021 की अनुपालन आख्या- 'प्राधिकरण' की गत बैठक दिनांक 16.12.2021 के निर्णयानुक्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। विभिन्न बिन्दुओं/प्रकरणों तथा प्रस्तावों पर बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये-

अन्य बिन्दु-

(1) सफाई व्यवस्था, प्लास्टिक/पोलीथीन एवं कूड़ा जलाने तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में-सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा (सहायक नोडल अधिकारी) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस से निर्धारित प्रारूप में सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनके तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद एटा के अवागढ़ एवं जलेसर की सूचना/आंकड़े संतोषप्रद नहीं हैं। जनपद हाथरस की भी सूचनायें संतोषजनक नहीं हैं। यद्यपि आयुक्त, नगर निगम, जनपद भरतपुर (राज0) के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है लेकिन अपने पत्र दिनांक 22.03.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि माह मार्च, 2022 तक 133 किग्रा0 पॉलीथीन कैंरीबैग जब्त करते हुये रू0 5,700/- का जुर्माना वसूल किया गया है। गत बैठक में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद के ताज संरक्षित क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल/पॉलीथीन/कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निरीक्षण कर मानक के उल्लंघन की जाँच हेतु एवं निर्धारित प्रारूप पर बैठक से पूर्व निरीक्षण आख्या/सूचना दिनांक 17.04.2022 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपदवार टीमों का गठन किया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह परिलक्षित हुआ कि जनपद एटा में सिंगल यूज प्लास्टिक की जम्मी शून्य है। इस प्रकार जनपद हाथरस की भी सूचनायें संतोषप्रद नहीं हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि जनपद एटा व हाथरस में कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है। निर्देश दिये गये कि अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयापूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें। जनपद-एटा व हाथरस के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में नगर पालिका परिषद के द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा जिलाधिकारी, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) द्वारा अपने जनपद में तदनुसार टीम गठित कर की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा को उपलब्ध करायी जाये। नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें प्रेषित करने से पूर्व आंकड़ों का स्वयं अपने स्तर से परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित को सूचनायें प्रेषित करें। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व अवश्यमेव उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल)

गत बैठक के निर्णयानुक्रम में साफ-सफाई, कूड़ा जलाये जाने, ठोस अपशिष्ट एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रकरण पृथक्-पृथक् रूप से मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, अतः इस बिन्दु के अन्तर्गत प्लास्टिक/पोलीथीन के अतिरिक्त सम्मिलित सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, कूड़ा जलाने तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बिन्दु/प्रकरण को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

(2) पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में-परियोजना प्रबन्धक, विश्व बैंक इकाई-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू० 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना की पी०एफ०आर० को आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के स्तर से पत्र दिनांक 14.03.2022 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में तैयार की गयी परियोजना पूर्व में अमृत योजना के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी किन्तु अपरिहार्य कारणोंवश परियोजना स्वीकृत नहीं हो सकी है। उक्त परियोजना अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत की जायेगी।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय 11 पेठा इकाइयों कोयले से संचालित पायी गयीं, जिन्हें टीम द्वारा मौके पर सील करते हुये, भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। पेठा निर्माण इकाइयों में कोल/कोक/लैडर/लकड़ी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित कराने हेतु शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित कर सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो० की संयुक्त टीम बनाकर पेठा निर्माण इकाइयों के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करायी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोल/कोक/लैडर/लकड़ी के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कराया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पेठा इकाइयों में कोयला पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम का गठन कर लगातार पेठा कारखानों/भट्टियों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 04.04.2022 को किये गये औचक निरीक्षण के समय 05 इकाइयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग होता पाया गया, जिसे मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त थाना डौकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगरीया, तहसील फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर कोयले से पेठा उत्पादन की सूचना प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी फतेहाबाद को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 11.04.2022 को ग्राम नगरीया में भवन स्वामी श्री सत्यभान पुत्र श्री रामदास के परिसर में कुल 02 भट्टी एवं श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री साहब सिंह के परिसर में कुल 02 भट्टी, जो लकड़ी से संचालित पायी गयी, का ध्वस्तीकरण करते हुये परिसर को सील कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बल्केश्वर स्थित मै०निर्मल ट्रेडर्स, 32/164/2, लाल मस्जिद बल्केश्वर, थाना कमला नगर, आगरा की जाँच करने पर पाया गया कि निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व० मुन्नीलाल जैन ने करीब 04 वर्ष पूर्व कोयला का भण्डारण/बिक्री का काम बन्द कर दिया गया है, लाल मस्जिद निवासियों के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कोयला डिपो नहीं है और न ही इस क्षेत्र में कोयला की बिक्री व भण्डारण होता है।

श्री केशो मेहरा, गैर-सरकारी, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कालिन्दी विहार योजना में पेठा इकाइयों का स्थानान्तरण उचित है लेकिन सर्वप्रथम कालिन्दी विहार में गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि पेठा इकाइयों स्वतः अपने व्यवसाय कालिन्दी विहार योजना में स्थानान्तरित कर सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टीम के द्वारा पेठा कारखानों/भट्टियों में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर जुर्माना एवं सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। पेठा व्यवसायी के द्वारा सील खोलने का अनुरोध किये जाने पर पेठा व्यवसायी से इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त किया जाता है कि उसके द्वारा वांछित स्थल पर पेठे का निर्माण नहीं किया जायेगा बल्कि कालिन्दी विहार योजना में ही पेठे का निर्माण किया जायेगा। उसके पश्चात् सील खोली जाती है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों के उस स्थल, जहाँ पेठा कारखाना स्थल पर कोयले का प्रयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी है, पर पेठा व्यवसायियों के द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक कार्य का ब्यौरा भी शपथ-पत्र में लिखा जाये कि उस स्थल पर पेठा व्यवसायी कौन-सा कार्य करेगा। ऐसा न हो कि सील खोलने के उपरान्त पेठा व्यवसायी के द्वारा उस स्थल पर पुनः पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाये। उक्त के अतिरिक्त सील खोलने में अन्यथा जो भी विधिक प्रक्रिया स्थापित हो, उसका पालन सुनिश्चित

l me

OL

e

किया जाये। गठित टीम, जिसके नोडल अधिकारी ए0सी0एम0 नामित हैं, के द्वारा अन्य स्थलों के साथ-साथ ऐसे स्थलों का भी औचक निरीक्षण किया जाये, जिन स्थलों पर सील खोली गयी है। ए0सी0एम0 (नोडल अधिकारी) के नेतृत्व में गठित टीम का यह उत्तरदायित्व है कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 का यह दायित्व है कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैडर/लकड़ी का प्रयोग न हो। इन टीमों द्वारा पेठा उत्पादन में कोयला जलाने वालों के लिये अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(नगर)/एस0डी0एम0)

जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा ओ0डी0ओ0पी0/अन्य उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सैन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, आगरा)

उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त परियोजना की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबंधक, वि0वै0इ0-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा)

(3) ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 48 कोल/कोक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 15 फर्म बन्द पायी गयीं, 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया, 05 फर्मों केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही उनके स्तर से किया जाना सम्भव नहीं है। 12 फर्मों के जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त किये गये हैं, 02 फर्मों जी0एस0टी0 में पंजीकृत नहीं पायी गयी हैं तथा 02 फर्मों के पते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जाँच के समय अपूर्ण पाये गये हैं। सूची में शेष 08 कोल/कोक व्यापारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपायुक्त, वाणिज्य कर, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फिरोजाबाद में कुल 06 कोल डिपो डीलर्स हैं, जिसमें से 03 डीलर्स बाहर से कोयला लाते हैं तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय कर देते हैं, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विक्रय नहीं करते हैं, इन डीलर्स के कोई गोदाम आदि नहीं हैं अपितु यह डीलर्स कोयला वाहनों में लाते हैं तथा वाहनों से ही विक्रय कर देते हैं। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशानुक्रम में दिनांक 21.04.2022 को 02 डीलर्स/कोल डिपो स्वामी मै0सुनील कोल डिपो एवं मै0अमित कोल डिपो का फिरोजाबाद नगर निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय कोल बिक्री के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किये जाने पर दोनों कोल डीलर्स को नोटिस जारी किये गये हैं। उपायुक्त, वाणिज्य कर, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में कुल 32 कोल डिपो पंजीकृत हैं, जिसमें 18 व्यापारी कोसी व मथुरा के हैं, जिनके द्वारा अभी ट्रेडिंग नहीं की जा रही है। कुल 32 कोल डिपो में ईट भट्टे भी सम्मिलित हैं लेकिन यह ईट भट्टे ताज ट्रेपेजियम एरिया में स्थापित नहीं हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष चिन्हित 48 कोल/कोक डिपो स्वामियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों (1-मै0आर0के0 कोल ट्रेडर्स, न्यू सीतानगर, लिंक रोड, नुनिहाई, आगरा 2-मै0बालाजी ट्रेडर्स, 13/129, नुनिहाई, आगरा, 3-मै0ए0एन0 ट्रेडर्स, 13/129, बी0 नुनिहाई, आगरा, 4-मै0सोहनलाल कोल डिपो, 15/549, काली बाड़ी, नूरी गेट, आगरा, 5-मै0बी0के0 कोल ट्रेडर्स, 5/406, नाला कंसखार, आगरा, 6-मै0जय शिवशंकर कोल डिपो, नूरी गेट, आगरा, 7-मै0कैलाश चन्द विजय कुमार कोल डिपो, प्रभू टाकिज के पीछे, जगदीशपुरा, आगरा, 8-मै0पूरन चन्द अग्रवाल, 35/623, नौबस्ता, लोहामण्डी, आगरा, 9-मै0भल्ली कोल इण्टरप्राइजेज, पुल छिंगा मोदी, लोहामण्डी, आगरा, 10-मै0हरनारायण कोल सप्लायर, 26/178, अहीरपाड़ा, राजामण्डी, आगरा, 11-मै0आदमपुरिया मेटल कम्पनी,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20/120ए, नगला महादेव, फ्रीगंज, आगरा, 12-मै0रामप्रसाद छोटेलाल कोल, 20/126, नगला महादेव, फ्रीगंज, आगरा, 13-मै0अतिशय ट्रेडर्स, पीर कल्याणी, रेलवे क्रोसिंग, आगरा, 14-मै0हर्ष ट्रेडर्स, 20/5, फ्रीगंज, आगरा, 15-मै0लक्ष्मी ट्रेडर्स, 20/115, नगला महादेव, आगरा, 16-मै0विद्या कोल डिपो, 21/274-डी, जीवनीमण्डी, आगरा, 17-मै0सौरभ कोल डिपो, 16/2ए, हरजूपुरा, ताजगंज, आगरा, 18-मै0शर्मा मिनिरल एण्ड कैमिकल, 64, मौजा-गोपालपुरा, आगरा, 19-मै0श्रीजी ट्रेडर्स, 3/221, रुई की मण्डी, रेलवे डबल फाटक, आगरा, 20-मै0गजेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 21-मै0कैलाजी ट्रेडर्स, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 22-मै0सुनील कुमार एण्ड कंपनी, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 23-मै0अमित चारकोल सेन्टर, नगला बासी, नियर ओमेगा होटल, ईदगाह, आगरा, 24-मै0किरन कोल डिपो, सैंया क्रोसिंग, आगरा, 25-मै0महेश कोल डिपो (दीपक ट्रेडर्स), सैंया, आगरा, 26-मै0ए0के0 कोल डिपो (पूर्व नाम गणेश ट्रेडर्स), इटोरा, पोस्ट-ककुआ, तहसील-खेरागढ़, आगरा) द्वारा किसी भी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र एवं कोल लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, 15 कोल/कोक डिपो बन्द पाये गये, 02 कोल/कोक डिपो स्वामियों द्वारा 02 वर्ष पूर्व से कोल/कोक बिक्री का कार्य बन्द कर दिया गया है, 03 इकाईयों द्वारा कार्य परिवर्तित कर गैस द्वारा मिठाई एवं फास्ट फूड बनाने का कार्य किया जाता पाया गया तथा 02 इकाईयों के पते अपूर्ण होने के कारण चिन्हित नहीं किये जा सके हैं। उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अन0शा0) वाणिज्य कर, संभाग-ए, आगरा को दिनांक 19.02.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि-

- 1- ऐसी 15 कोल/कोक डिपो, जो पूर्व में उ0प्र0प्र0नि0बो0 द्वारा किये गये निरीक्षण के समय बन्द पाये गये, का क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा पुनः निरीक्षण कराया जाये तथा पुनर्निरीक्षण के समय यदि उक्त कोल/कोक डिपो बन्द पाये जाते हैं, की सूचना जी0एस0टी0 विभाग तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रेषित करें, जिस पर जी0एस0टी0 विभाग द्वारा विभागीय नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा/ संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 2- जिन 03 कोल/कोक डिपो के द्वारा कोल/कोक बिक्री के स्थान पर अन्य कार्य में परिवर्तन कर लिया गया है, के पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही कर नियमानुसार निरस्त किये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 3- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय जिन 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के द्वारा जिलाधिकारी, आगरा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वसम्मति से उन 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों को बिक्री करने से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे कोल/कोक डिपो स्वामियों के जी0एस0टी0/अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा पंजीकरणों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 4- गत बैठक में जिन कोल/कोक डिपो संचालकों को कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किये जाने के कारण प्रतिबंधित किया गया था, उन सभी कोल/कोक डिपो संचालकों के जी0एस0टी0 विभाग द्वारा अगले 07 दिवस में पंजीयन निरस्त किये जायें।

(कार्यवाही- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 5- जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा जिन कोल/कोक डिपो स्वामियों द्वारा कोल/कोक के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं, उनका प्रत्येक माह निरीक्षण कराया जाये। निरीक्षण के समय यदि उन कोल/कोक डिपो स्वामियों के द्वारा कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं पाये जाने पर कोल/कोक डिपो के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये। जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा यह परीक्षण कराया जाये कि जनपद मथुरा व फिरोजाबाद के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्थित कोल डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला कहीं-कहीं विक्रय किया गया है।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

h nsh

3

6- जी0एस0टी0/सम्बन्धित विभाग द्वारा भविष्य में बिना टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति के कोल/कोक डिपो के पंजीकरण न किये जायें।

624

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 143(अ) दिनांक 22.02.2022, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम-2022 कहा गया है, की टिप्पणी सं0-2 के क्रम में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त ईट भट्ठे स्वामियों द्वारा अगले संचालन (सीजन) से पूर्व अपने ईट भट्ठों को जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जायेगा या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइण्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का उपयोग किया जायेगा तथा ईट भट्ठों के द्वारा पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग नहीं किया जायेगा न ही उपयोग किये जाने की अनुमति दी जायेगी। ईट भट्ठे स्वामियों द्वारा उपरोक्त का पालन न किये जाने की दशा में अगले सीजन के संचालन हेतु किसी भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा उपरोक्त ईट भट्ठा संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(कार्यवाही-उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत/जिला खान अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज0)

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19), आगरा मेट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने के सम्बन्ध में-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-आगरा के अधीन पड़ने वाले आगरा-इटावा खण्ड के छः लेनीकरण परियोजना (किमी0 199.660 से 323.525 तक) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं परियोजना के रियायतग्राही द्वारा उक्त खण्ड की नियमित रूप से स्वीपिंग/मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाती रहती है तथा डस्ट को भी राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-19) के किनारे डम्प नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रियायती मै0 डी0ए0 टोल रोड प्रा0लि0 के अनुसार जनपद आगरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-आगरा खण्ड पर रून्कता से आईएसबीटी तक स्वीपिंग/ मैकेनिकल स्वीपिंग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थित एकत्रित मिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री अवशेष को उठाया जा चुका है व खुदे हुये गढ़वे समतल किया जा चुके हैं ताकि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात सुचारु रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा धूल के प्रवाह का वायुमण्डल से रोकने एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर टैंकरों द्वारा रियायती छिड़काव कर रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा मार्गों के किनारे पर्याप्त कच्चा स्थान न होने के कारण घास लगाया जाना सम्भव नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मार्गों पर डस्ट हटवायी जा रही है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 13 रोड में से 8 रोड घास लगाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा चिन्हित की गयी हैं। ट्रान्सपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड की ओर तथा आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड के गेट नम्बर 1 के सामने हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) का कार्य कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है। कोठी मीना बाजार के समीप मार्ग के किनारे घास लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जी0आई0सी0 के समीप भी रोड के किनारे घास लगाये जाने का कार्य विचाराधीन है। अगली बैठक से पूर्व सभी चिन्हित स्थलों पर घास लगाने का कार्य सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0ए0आई द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन द्वारा सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से रोड पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है। 02 स्थलों पर घास लगाने का कार्य भी कराया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा शहर में मुख्य 4 स्थलों पर घास लगाने का कार्य कराया गया है।

2/2/22

[Handwritten signature]

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण की समस्त कॉलोनियों नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की लगातार सफाई करायी जाती है, जिससे कि रोड साईड में कोई डस्ट न हो एवं वायुमण्डल में धूल के कण ट्रैफिक के आवागमन के कारण न फैले। प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की साईड में उपलब्ध ग्रीन वर्ज में मीया बांकी पद्धति से लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगभग 24000 पौधों को भी प्रदूषण कम करने के लिए रोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क के सेन्ट्रल वर्ज एवं ढलान पर लगभग 8000 पौधें एवं श्रवस का रोपण किया गया है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण पर भी ट्रैफिक का आवागमन शुरू कर दिया गया है। द्वितीय चरण पर भी सड़क के किनारे डस्ट इकट्ठी नहीं होने दी जाती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में भी लगभग 10000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। हाई एम्बैकमेन्ट सड़क के स्लोप पर भी घास लगाने (टर्फिंग) का कार्य काफी स्थानों पर किया जा चुका है एवं टर्फिंग का कार्य प्रगति में है। इनर रिंग रोड के अतिरिक्त प्राधिकरण की अन्य कोई रोड नहीं है।

अधिसासी अभियन्ता, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के अनुसार फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी रोड का अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा शहर के अन्दर स्थित मार्गों से रोड साईट डस्ट को हटाने के सम्बन्ध में वांछित सूचना शून्य है।

सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से प्राप्त सूचनानुसार प्राधिकरण द्वारा विकसित रुकमणी विहार आवासीय योजना के अतिरिक्त अन्य समस्त विकसित कॉलोनियों नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन को हस्तगत की जा चुकी हैं। वर्तमान में रुकमणी विहार आवासीय योजना का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा योजना की सड़कों की नियमित सफाई करायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण प्रगति पर है एवं मात्र लगभग 10 प्रतिशत भवन निर्मित हैं तथा योजना विकसित हो रही है। मुख्य मार्गों पर पटरी भाग पर इण्टरलॉकिंग टाइल का कार्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में डस्ट की सम्भावना न होने के कारण घास का कार्य नहीं कराया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 07.02.2022 एवं पुनः दिनांक 14.02.2022 को मेट्रो रेल परियोजना निर्माण स्थल का निरीक्षण कराया गया है, निरीक्षण के समय यह पाया गया कि मेट्रो रेल कॉर्पो० के द्वारा स्थल पर जल का छिड़काव तो कराया जा रहा है लेकिन नियमित अन्तराल पर जल का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है जबकि वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में पानी शीघ्र ही सूख जाता है, जिसके कारण धूल उड़ती है। इसी प्रकार कास्टिंग यार्ड पर भी पर्याप्त/नियमित रूप से जल का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नगर निगम, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया/हटवाया जाये तथा जिन स्थलों पर घास लगाने के कार्य प्रगतिमान हैं, उन्हें शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाये। नगर निगमों व विकास प्राधिकरणों के द्वारा ऐसे अतिरिक्त स्थलों का चिन्हांकन कर घास लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये, जहाँ सुगमता से घास लगायी जा सके तथा ऐसे स्थलों पर घास लगाने की प्लानिंग करते हुये वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य पूर्ण करा लिये जायें। साथ ही समस्त नगर निगमों के द्वारा अपने मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया जाये। कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम/विकास प्राधिकरण, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद)

निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अगले 07 दिवस के अन्दर अपने मार्गों से धूल को साफ कराया जाये। क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मार्गों का निरीक्षण किया जाये, जहाँ से लोक निर्माण विभाग के द्वारा धूल को हटवाया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मार्गों पर घास लगवाये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-अधी०अभि०,लो०नि०वि०,आगरा/क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा)

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि० के द्वारा नियमित अन्तराल पर जल का पर्याप्त छिड़काव सुनिश्चित किया जाये। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा लगातार आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का







निरीक्षण किया जाये तथा उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन/उ०प्र०नि०बो०,आगरा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (06.06.2018)

(1) यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्ट्स एजेन्सियों की शिपिंग के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम एवं आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में अस्थायी कार्य कराये गये हैं, जिनमें अतिक्रमण को हटाना भी सम्मिलित है तथा ₹० 20 लाख की धनराशि से पेचवर्क के कार्य भी कराये गये हैं। दिनांक 14.12.2021 को नगर निगम एवं प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से यमुना किनारा स्थित ट्रांसपोर्ट्स को सिकन्दरा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित कराने हेतु स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर में यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट्स को मूलभूत सुविधायें (सड़क, नाली, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण आदि) उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ₹० 7475.72 लाख की कार्य-योजना तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है। यमुना किनारा मार्ग पर लगभग 140 ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज हैं, जिनकी अलग-अलग आकार के भूखण्डों की मांग है। जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर एक नया ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, जो किसी जंक्शन पर स्थित हो। डॉ०रविन्द्र मोहन पचौरी, गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि दक्षिणी बाईपास के समीप भूमि आसानी से उपलब्ध हो सकती है और यह स्थल उपयुक्त भी रहेगा।

संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा में जी०एस०टी० पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार कुल 503 लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टर/ट्रेडर्स की फर्में पंजीकृत हैं, जिनसे ट्रांसपोर्ट एजेन्सी/कमीशन एजेन्सी के रूप में कुल 348 फर्में कार्यरत हैं, जिनमें यमुना किनारा, दरेसी, बेलनगंज, हाथीघाट तथा जीवनी मण्डी में कुल 79 ट्रांसपोर्ट एजेन्सी कार्यरत हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार 13 ट्रांसपोर्ट एजेन्सी ऐसी पायी गयी, जिनको प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट के कार्य हेतु भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जी०एस०टी० विभाग द्वारा की गयी जाँच पर ट्रांसपोर्टर मै०अमेरिकन ट्रांसपोर्ट द्वारा बताया गया है कि उसे ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित है तथा ट्रांसपोर्टर द्वारा अपना व्यापार स्थल परिवर्तित कर ट्रांसपोर्ट नगर करते हुये दिनांक 21.01.2022 को प्रार्थना-पत्र दिया गया है। मै०टुण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं मै०सरदार ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा यथासम्भव शीघ्र ही माल की लोडिंग अनलोडिंग हेतु फर्मों को ट्रांसपोर्ट नगर स्थानान्तरित कर लिया जायेगा। इसी प्रकार मै०क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यमुना किनारे से मात्र बुकिंग का कार्य किया जा रहा है तथा माल की लोडिंग अनलोडिंग का समस्त कार्य ट्रांसपोर्ट नगर से सम्पादित किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर को निर्देशित कर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों को यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट के कार्य हेतु पंजीयन किसी भी दशा में न जारी किये जायें। ₹० 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज का पंजीयन जी०एस०टी० विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यमुना किनारा स्थित किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के जी०एस०टी० विभाग से सम्भागीय परिवहन विभाग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुक्रम में आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड-2, विशेष अनुसंधान शाखा, उ०प्र० वस्तु एवं सेवाकर, आगरा से पत्राचार कर अपेक्षित कार्यवाही करायी गयी है। आर०टी०ओ० आगरा द्वारा अवगत कराया है कि जी०एस०टी० विभाग में पंजीकृत ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों की प्राप्त सूची में अंकित ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों को कैरिज वाई रोड एक्ट 2007 एवं नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु कार्यालय स्तर पर नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं। ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन जी०एस०टी० विभाग में कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। जब तक ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों द्वारा जी०एस०टी० विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, तब तक परिवहन विभाग बिना जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार शमन की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा डिमाण्ड सर्वे कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में सभी आकार के भूखण्डों को मिलाकर लगभग 10,500 वर्गमी० भूमि रिक्त है, जो ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज को आवंटित की जा सकती है लेकिन भूखण्डों के क्षेत्रफल मानकों के अनुरूप अलग-अलग हैं।

L 2018

OL

आगरा विकास क्षेत्र हेतु तैयार करायी जा रही आगरा महायोजना-2031 में एन0एच0-2 पर रुनकता के पास, ग्वालियर रोड तथा फतेहाबाद रोड पर कुल तीन ट्रांसपोर्ट नगरों का प्राविधान किया गया है लेकिन उक्त स्थलों की भूमि निजी भूमि है, जिसे ट्रांसपोर्ट नगरों के विकास हेतु नियमानुसार अर्जित किया जाना आवश्यक होगा।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के खड़े पाये गये वाहनों के विरुद्ध चालान/सीज एवं शमन शुल्क वसूल किये जाने की कार्यवाही यातायात पुलिस कर्मियों एवं क्रेनों की ड्यूटी लगाकर करायी जाती है एवं यातायात निरीक्षकों के द्वारा उक्त मार्ग पर भ्रमणशील रहकर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के सभी प्रकार के वाहनों को किसी भी दशा में पार्क/खड़ा नहीं होने दिया जाता है। यमुना किनारा मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 08.04.2022 तक अनाधिकृत रूप से खड़े 106 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये हैं एवं रू0 10,100/- शमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया है। यमुना किनारा मार्ग पर क्रेन द्वारा सड़क किनारे पार्क लोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर रू0 40,900/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के खड़े पाये गये वाहनों के विरुद्ध चालान/सीज एवं शमन शुल्क वसूल किये जाने की कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्टर्स एजेन्सियों की शिपिंग के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2021 को बैठक आयोजित की गयी, जिसके अनुपालन में यमुना किनारा मार्ग पर अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े 30 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है एवं कैरिज वाई रोड एक्ट-2007 में जारी कॉमन कैरियर जारी 152 अनुज्ञप्तियों में से किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का पंजीकृत पता यमुना किनारा रोड़ का नहीं है। नियमित रूप से प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा स्थल पर कार्य कर रहे ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को अवैध पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाता है तो उनके विरुद्ध चालानी की कार्यवाही की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े 53 वाहनों के विरुद्ध दिनांक 05.04.2022 से दिनांक 12.04.2022 के मध्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है।


विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थित किसी भी ट्रांसपोर्टर्स के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा किसी भी दशा में न किये जायें। ऐसी ट्रांसपोर्ट एजेन्सियाँ, जिन्हें प्राधिकरण से ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित हैं जबकि वह यमुना किनारा मार्ग से व्यापार कर रहे हैं, को अपने व्यापार ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। रू0 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज की जी0एस0टी0 विभाग द्वारा जांच की जाये यह कि रू0 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज वास्तविकता में रू0 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज तो नहीं हैं तथा रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए उनके द्वारा रू0 20 लाख से कम का टर्न ओवर दिखाया जा रहा हो। मै0टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मै0सरदार ट्रांसपोर्ट कम्पनी तथा मै0क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर में तत्काल शिफ्ट कराये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा)

ट्रांसपोर्ट नगर में स्थायी कार्यों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा तैयार की गयी रू0 7475.72 लाख की योजना पर स्वीकृति के उपरान्त नगर निगम द्वारा निर्माण/विकास कार्य कराये जायें। नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों में से रू0 5-10 करोड़ धनराशि के ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित कर लिया जाये, जो अति आवश्यक हों। जिलाधिकारी द्वारा जितनी ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग में हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सम्भागीय परिवहन विभाग में भी नियमानुसार सुनिश्चित कराये जायें। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा भूखण्डों की मांग का सर्वे कराया जाये तथा ट्रांसपोर्ट नगर में अवशेष भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये। एस0पी0(ट्रैफिक) एवं आर0टी0ओ0 द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं नियमित रूप से प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी के नेतृत्व में शिपिंग एवं अन्य समस्त वांछित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/नगर निगम, आगरा/आ0वि0प्रा0/एस0पी0(ट्रैफिक)/आर0टी0ओ0, आगरा)

d nkl



रामलीला ग्राउण्ड के सामने पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में-उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा किला के सामने रामलीला ग्राउण्ड के पास रक्षा सम्पदा विभाग की भूमि/स्थल पर पार्किंग टाइल्स लगाये जाने हेतु नियमों का परीक्षण करते हुये आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी को वांछित अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 30.03.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पार्किंग पर टाइल्स लगाये जाने का कार्य किसी प्रकार के नवनिर्माण की श्रेणी में नहीं आता है तथा एक प्रकार से मरम्मत सम्बन्धी कार्य है क्योंकि पूर्व में उक्त पार्किंग स्थल पर कॉन्क्रीट की फ्लोरिंग की गयी थी, जो कि वर्तमान में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिसके कारण पार्किंग स्थल पर वाहनों के आवागमन से अत्यधिक धूल उड़ती है। ऐसी स्थिति में वाहनों हेतु उक्त पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि वाहनों के आवागमन से स्थल पर धूल न उड़ सके।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा शीघ्रतिशीघ्र संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी,आगरा/मुख्य अभि0,आ0वि0प्रा0)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 4(10.06.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन स्थिति का उल्लेख करते हुये वांछनीय मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अनुस्मारक-2 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में प्रकरण पर मार्ग-दर्शन प्रतीक्षित/अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रकरण में शासन स्तर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0प्राधिकरण, आगरा)

पीएम-10 एवं पीएम-2.5 को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न उपाय किये जायें-

4-समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना-मुख्य अभियन्ता, आ0वि0प्रा0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की सफाई नियमित रूप से मैन्यूअली कराई जा रही है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण के कन्स्ट्रक्शन में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सड़क के प्रत्येक भाग पर डब्ल्यू0एम0एम0 (पत्थर का कार्य) कराया जा चुका है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण का कार्य लगभग 96 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इस सड़क पर ट्रैफिक का आवागमन होने के कारण जो डस्ट इकट्ठी होती है, उसकी लगातार सफाई कराई जा रही है। इस प्रकार द्वितीय चरण में ट्रैफिक के चलने से डस्ट वातावरण में नहीं फैलती है। सड़क के शोल्डर के कच्चे भाग पर लगातार पानी का छिड़काव कराने से सड़क के शोल्डर का भाग भी पक्का हो गया है, इसमें वह मिट्टी भी तेज हवा से वातावरण में नहीं फैलती है।

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के तहत मार्गों के चौड़ीकरण/निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए निर्माणाधीन स्थल पर हरा पर्दा लगाकार एवं डम्परों द्वारा सामग्री को ढंककर ढुलान कराया जाता है। चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य में WMM (Wet Mix Macadam) तथा WMM (Stabilized) का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्लाण्ट से मिक्स करके साइट पर लाया जाता है, जिससे इस कार्य में धूल उड़ने की सम्भावना नगण्य रहती है। धूल की रोकथाम हेतु टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जाता है।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि0, आगरा के पत्र दिनांक 14.02.2022 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वायुमण्डल में धूल के कणों/वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं में आगरा स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा सम्बन्धित सभी निर्माण कार्यस्थलों पर जल छिड़काव निरन्तर किया जाता है। कार्यस्थलों पर येरिकेडिंग

h 28



की जाती है। ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी (excavated loose soil) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का नियमानुसार कार्यस्थल से हटाया जाता है। निर्माण कार्य हेतु दीर्घकाल तक भवन सामग्री का भण्डारण निर्धारण शेड में किया जाता है जो नियमानुसार ढका हुआ होता है। निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले वाहन का आवागमन ढककर किया जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन न होने पर सम्बन्धित ठेकेदारों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्धदण्ड भी अधिरोपित किये जाते हैं।

जिलाधिकारी, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए जिला प्रशासन को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक, वि०बै०इ०-प्रथम, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के अनुपालन हेतु निर्माण कार्यों के दौरान स्थल को ग्रीन नेट से कवर किये जाने, खोदी गयी मिट्टी को ग्रीन नेट से ढके जाने, निर्माण सामग्री के शिफ्टिंग के दौरान सामग्री को ग्रीन नेट से ढके जाने, काटी गयी सड़कों पर नियमित छिड़काव आदि की कार्यवाही करते हुये अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी प्रमुख मार्गों बोदला-मारुति स्टेट सड़क बोदला-लोहामण्डी सड़क, गढ़ी भदौरिया सड़क आदि सड़कों को पुनर्स्थापन पूर्ण कर दिया गया है। सिकन्दरा-बोदला मार्ग का आंशिक भाग अवशेष है, जिसे नगर निगम द्वारा निर्मित किया जाना है। इस भाग पर बिटुमिन कार्य से पूर्व की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है। नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर से प्राप्त सूचनानुसार सामान्यतः समस्त निर्माणकर्ता को निर्माण सामग्री ढककर परिवहन करने हेतु निर्देशित किया है तथा सड़क किनारे निर्माण सामग्री (मलवा) आदि हटाने हेतु पाबन्द किया गया। आदिनांक तक कुल 37,800/- का जुर्माना वसूल किया गया एवं समय-समय पर निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक-2, यू०पी०एम०आर०सी०एल०, आगरा से प्राप्त सूचनानुसार पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु उ०प्र० मेट्रो रेल द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में विभिन्न स्तरों पर धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निर्माण स्थल पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निरंतर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग, निर्माण सामग्री को ढक कर रखना, ठोस अपशिष्ट एवं सी० एण्ड डी० वेस्ट का उचित निस्तारण, निर्माण क्षेत्र की लोहे की चादरों से बेरिकेटिंग किया जाना एवं कार्टिंग यार्ड में सेण्ड के ढेरों पर स्प्रिक्लर्स द्वारा पानी का छिड़काव कराया जाता है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि समस्त सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, मेट्रो रेल कॉर्पो०, स्मार्ट सिटी लि० एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। अनुपालन आख्या फोटोग्राफ सहित प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जल निगम/आ०वि०प्रा०/स्मार्ट सिटी लि०/उ०प्र०मे०रे०कॉ०लि०/लो०नि०वि०/एम०वी०डी०ए०/एफ०एस०डी०ए०)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में एन०एच०ए०आई द्वारा प्रदान की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,64,37,500.00 से जनपद आगरा में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा सदस्य-सचिव, उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 10.11.2021 के अनुक्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 19.01.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, जिसके सम्बन्ध में वांछित उपकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण लागत सहित बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। तत्कम में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

d nsh

3

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत अन्य जनपदों में भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये जायें। कार्यदायी संस्थाओं/विभागों द्वारा अनुपालन न किये जाने की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा प्राप्त होने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जायें। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग वैरायटी के लगभग 4-5 उपकरण आदि भी चिन्हित कर लिये जायें, जो बहुउद्देश्यीय होने के साथ-साथ उपयुक्त हों।

(कार्यवाही-नगरायुक्त,नगर निगम/क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर (राज०))

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019)

जनपद फिरोजाबाद स्थित मै०लघु उद्योग पकाई भट्टी चैम्बर सहकारी समिति लि० को 43 इकाइयों की सूची से पृथक् करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र०सं०-4 पर "मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास" भी सम्मिलित है। सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से सेक्टोरियल गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में क्रमांक-45 पर अंकित "Manufacturing of glass" का वायु प्रदूषण स्कोर 20 दर्शित है, जिस हेतु मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में सेक्टोरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने हेतु नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टोरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-5 (24.12.2019)

मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.04.2018 के क्रम में मै०हरीओम ग्लास इण्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद को गैस प्रदान किये जाने के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.06.2019 को प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-8 (24.12.2019)

खसरा सं०-32, ताजगंज वार्ड, मौजा-बुढ़ेरा, आगरा पर फाईव स्टार होटल के निर्माण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त पंचतारा होटल सम्बन्धी योजना पर्यटन विभाग, उ०प्र० सरकार से पंजीकृत है तथा उ०प्र० इन्वेस्टर समिट-2018 के तहत कम्पनी तथा उ०प्र० सरकार के मध्य एम०ओ०यू० निष्पादित हुआ है। उक्त पंचतारा होटल हेतु स्टेट लेवल इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ०प्र० के पत्र दिनांक 11.07.2018 द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित विशिष्ट शर्त/प्रतिबंध सं०-9 के अनुसार होटल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व होटल हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की एन०ओ०सी० प्राप्त करना अनिवार्य है। गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण

h m

31 e

कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र०सं०-1 पर "Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more", जो लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं वायु प्रदूषण स्कोर 15 दर्शित है, भी सम्मिलित है। सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में "Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more" हेतु सेक्टोरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने के लिए नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टोरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

एजेण्डा बिन्दु सं०-3 (29.02.2020)

दिनांक 07.01.2015 को आहूत 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में पारित निर्णयों पर विचार-विमर्श किए जाने के सम्बन्ध में-गत बैठक के निर्णयानुक्रम में संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मंडल, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का सदस्य-संयोजक द्वारा परीक्षण करते हुये अनुलग्नक-10 पर प्रस्तुत की गयी परीक्षण आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 15.10.2014, जिसमें बिन्दु सं०-4 के उपबिन्दु-(III), (IV), (V) का उल्लेख है, के क्रम में संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए०डी०एम०, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद/क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, फिरोजाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं०-5 (29.02.2020)

मा०सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन विभिन्न आई०ए० पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित/कृत कार्यवाही की समीक्षा के सम्बन्ध में-प्रश्नगत याचिका अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न सरकारी/निजी समूह/व्यक्ति/संस्था के द्वारा दायर की गई आई०ए० पर विभागों द्वारा कृत अद्यतन कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये-

क्र० सं०	आई०ए० सं०	सम्बन्धित विभाग	आई०ए० की विषय-वस्तु	निर्देश
8.	134453/2019, 134454/2019, 3186/2020 (Filed by Agra Development Foundation)	(DFO Agra 7839435137)	सरकारी भूमि पर वृक्षों के पातन हेतु SOP निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये कि एस०ओ०पी० में आवश्यक संशोधन कराते हुये शासन से अनुमोदन प्राप्तोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्र०, आगरा द्वारा नियमानुसार मा०सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्रतिशीघ्र दाखिल कराते प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।
11	4115, 4118 & 4119/2020 (Filed by Agra Development Foundation)	S.S.P., AGRA	आगरा में सुगम यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में।	सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए०ओ०आर० से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कराया जाये।
13	3419, 3420 & 3424/2020	(Dy. Director, Tourism, Agra)	वृज विकास तीर्थ	सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के

क्र० सं०	आई०ए० सं०	सम्बन्धित विभाग	आई०ए० की विषय-वस्तु	निर्देश
	(Filed by Agra Development Foundation)	Mob.No. 9415115510)	परिषद् की भाँति आगरा में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) बनाये जाने के संबंध में।	आधार पर ए०ओ०आर० से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कराया जाये।
14	20616 & 20617/2020 (Filed by Arun Gupta)	(Dy. Commr., DIC, FZB. Shri A.K. Pandey, Mob. No. 9411923038) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia, Mob. No. 7839891925)	ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में नयी इकाइयों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित/संचालित इकाइयों के विस्तारीकरण हेतु अनुमति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत आई०ए० की प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर कार्यालय के पत्रांक-2605 दिनांक 07.12.2021 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, जो शासन के लीगल सैल में लम्बित है। शासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र अनुमोदन करा लिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा की ओर से भी शासन को तत्काल पत्र भिजवाया जाये।

रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी आई०ए०/प्रतिशपथ-पत्र/जवाब, आदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के बिना संज्ञान में लाये, मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल न किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/संस्था)

एजेण्डा बिन्दु सं०-08 (29.02.2020)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रांतर्गत जनपद फिरोजाबाद में स्थापित/संचालित काँच इकाई मै०यूनाईटेड कैमीकल इण्डस्ट्रीज को आवासीय क्षेत्र से यू०पी०एस०आई०डी०सी० में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

एजेण्डा बिन्दु सं०-09 (29.02.2020)

काँच इकाई (1)मै०मीरा ग्लास इण्डस्ट्रीज, (2)मै०चन्द्रमान अनिल कुमार ग्लास वर्क्स एवं (3)मै०हाईलाईट ग्लास प्रा०लि० द्वारा गैसापूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, मा०अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1-ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक बिन्दु के सम्बन्ध में-इस बिन्दु को मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (25.04.2022) के अन्तर्गत समावेशित कर दिये जाने के कारण विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (15.12.2020)

यमुना नदी पर आगरा शहर में स्थित ताजमहल के 1.5 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण की परियोजना हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्विलरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2020 को सम्पन्न स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (एस.ई.ए.सी.) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुज्ञा हेतु सशर्त संस्तुति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्त

L. M. S.

32 e

सं०-1 के अनुसार टी०टी०जैड० प्राधिकरण की क्लियरेंस आवश्यक होने के कारण स्टेट इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ०प्र० द्वारा अभी अन्तिम रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 एवं दिनांक 09.03.2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आहूत बैठक के निर्णयानुक्रम में रबर डैम परियोजना के वायु/जल प्रदूषण स्कोर की स्थिति सहित मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्रांक-533 दिनांक 31.03.2022 प्रेषित किया गया है। साथ ही निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर से भी रबर डैम परियोजना के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्रांक-534 दिनांक 31.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में डॉ०एस०के० गोयल, चीफ साइन्टिस्ट एण्ड हैड, दिल्ली जोनल सेन्टर, नीरी, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.04.2022 द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कतिपय शर्तों के साथ सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीरी के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है। अतः सिंचाई विभाग के द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 09.03.2022 के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2017 के अनुपालन में योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र हेतु तैयार किया गया विजन डोक्यूमेन्ट एवं उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये अभिमत (Suggestion) का भी सिंचाई विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया जाये। वर्तमान में प्रकरण विलोपित किया जाये। यदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो टी०टी०जैड० प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-सिंचाई विभाग, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-04 (15.12.2020)

काँच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा पॉट फर्नेस के स्थान पर टैंक फर्नेस स्थापित किये जाने एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्ध दैनिक अनुबंधित मात्रा 300 SCMD के स्थान पर 3000 SCMD बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (15.12.2020)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी ताजमहल केन्द्रित स्टडी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान एवं इसकी प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कार्य-योजना तैयार कर 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत (धनांक रू० 3,43,53,615.47) के कार्य प्रगति पर है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की शहर में ड्यूटी के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कर 523 वाहनों के चालान किये गये हैं। आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने समस्त निजी वाहन एवं 10 वर्ष पुराने समस्त डीजल संचालित तिपहिया लोडर वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से वैधानिक कार्यवाही कर बन्द/सीज की कार्यवाही की जाती है। यातायात पुलिस द्वारा 30 वाहनों को सीज कर यातायात पुलिस लाईन में दाखिल किया गया है।

अधीक्षक अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ताजमहल के 1.5 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में रू० 413.34 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रबर डैम के निर्माण से नदी की सूखी तली में जल भराव हो जायेगा। परियोजना को विभिन्न विभागों से अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली एवं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा परियोजना पर अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है। नीरी के पत्र दिनांक 24.04.2022 द्वारा परियोजना हेतु सशर्त अपनी सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है। वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से पर्यावरण क्लियरेंस एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनापत्ति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। सभी विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने पर परियोजना का

d nsl

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। गोकुल बैराज, मथुरा का निर्माण आगरा एवं मथुरा-वृन्दावन शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु किया है, जिसमें आगरा एवं मथुरा-वृन्दावन शहर का क्रमशः 115 एवं 30 क्यूसेक जल यमुना नदी के द्वारा आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। आगरा शहर को पेयजल हेतु 115 क्यूसेक जल के साथ जल क्षति को शामिल करते हुए लगभग 150 क्यूसेक जल छोड़ा जाना निहित है। उक्त के सापेक्ष गोकुल बैराज से विगत वर्षों में न्यूनतम लगभग 500 क्यूसेक जल यमुना नदी के माध्यम से आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ यमुना नदी के न्यूनतम प्रवाह को भी संतुलित बनाये रखता है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आई०आई०टी०, कानपुर के द्वारा की गई अध्ययन रिपोर्ट के क्रम में रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1996 के अनुपालन में टी०टी०जैड० क्षेत्रान्तर्गत आगरा के वायु प्रदूषणकारी उद्योग नेचुरल गैस/ इलेक्ट्रिसिटी से संचालित हैं, जिनका अनुश्रवण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से आगरा शहर में 05 Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) स्थापित एवं संचालित हैं। वर्तमान में आगरा शहर में 06 CAAQMS कार्यरत हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सिकन्दरा के पास स्थित पुलिस पार्किंग स्थल पर चारों ओर बाउण्ड्रीवाल तथा मेन गेट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुये वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में स्वीकृति अपेक्षित है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालनार्थ 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय सीमा पूर्ण विरुद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, अभि०/ज्येष्ठ अभि०अधि०, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा से नीलामी हेतु अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की वाहन चैकिंग ड्यूटी शहर के प्रत्येक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगाकर यातायात पुलिस के समस्त चालानकर्ता अधिकारीगणों द्वारा शहर क्षेत्र में बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। यातायात पुलिस आगरा द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही कर दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 08.04.2022 तक बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कुल 1040 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं ₹० 1,36,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। आगरा शहर में ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से वैधानिक कार्यवाही कर बन्द/सीज की कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा दि० 16.12.2021 से 08.04.2022 तक 87 वाहनों को सीज/बन्द कर यातायात पुलिस लाईन में दाखिल किया गया है। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों तथा 15 वर्ष से अधिक समयवधि के वाहनों के विरुद्ध नियमित कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित है।

मुख्य अभियंता, आ०वि०प्रा०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम स्थल पर नवनिर्मित भवन में प्रथम तल पर आठ चिता स्थल/चबूतरा निर्मित किया गया है। पुराने चिता स्थल डूब क्षेत्र में होने के कारण नवनिर्मित भवन के ऊपर निर्मित किये गये चिता स्थलों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु वेट स्क्रबर प्रणाली की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 16.02.2020 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। उक्त निविदाओं की वित्तीय बिड दिनांक 05.10.2020 को खोली गयी। उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गयी दरों ₹० 2,23,10,000.00 (GST नियमानुसार पृथक से देय) के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि ₹० 1,00,00,000.00 मात्र है। अवशेष धनराशि ₹० 1,23,10,000.00 मात्र एवं नियमानुसार देय जी०एस०टी० की धनराशि पथकर निधि से पथकर सलाहकार समिति की स्वीकृति की प्रक्रियान्तर्गत है तथा पथकर सलाहकार समिति से स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार कार्य कराया जायेगा।

श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम गृह पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्थापित किये गये वेट स्क्रबर मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी०, कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा

L 252

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई.आई.टी. कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं को समस्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सर्कुलेट किये जायें तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा एक्शन प्लान में अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिसका अनुश्रवण जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित 'जिला पर्यावरण समिति' की बैठकों में किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा/समस्त सम्बन्धित विभाग)

आगरा नगर निगम द्वारा जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण हेतु 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत तैयार की गयी रू० 3,43,53,615.47 की कार्य-योजना के अनुसार समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण कराये जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को रखने के लिए सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किये गये पत्र के क्रम में शासन को पुनः अनुस्मारक-पत्र प्रेषित किया जाये कराया जाये तथा स्वीकृति उपरान्त चिन्हित स्थल पर शीघ्र बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाये ताकि चिन्हित स्थान का उपयोग हो सके। आर०टी०ओ० व पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा जब्त किये गये वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा से वांछित अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही-एस०एस०पी०/एस०पी०(ट्रैफिक)/आर०टी०ओ०(प्रशा०), आगरा)

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा के वाहनों की चैकिंग प्रत्येक थाना क्षेत्र में सुनिश्चित करायी जाये तथा जिन वाहनों पर पी०यू०सी० सर्टिफिकेट न होने, ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-एस०पी०(ट्रैफिक), आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में जिन स्थल/चबूतरों पर एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं हैं, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उन स्थल/चबूतरों को एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाये। ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर स्थित चार प्लेटफार्म पर स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम को मोक्षधाम स्थित नये भवन के प्लेटफार्म पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आ रहे व्यय एवं व्यावहारिकता का परीक्षण कर लिया जाये अन्यथा नये भवन में स्थापित आठ प्लेटफार्म पर एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिसका आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पथकर सलाहकार समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त किया जाये। मोक्षधाम पर पूर्व में स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम की क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा शवदहन के समय पुनः स्टैक मानीटरिंग करायी जाये, जिससे कि ज्ञात हो सके कि स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मानकों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है अथवा नहीं।

(कार्यवाही-मुख्य अभि०,आ०वि०प्रा०/उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-08 (15.12.2020)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद स्थित मै०पायनियर ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०क्रिस्टल ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०गिरधारीलाल मनोहरलाल ग्लास वर्क्स, मै०माथुर ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०आलोक ग्लास वर्क्स, मै०जनरल ट्रेडर्स, मै०रेनु ग्लास वर्क्स, मै०क्वालिटी ग्लास वर्क्स, मै०सुपर ग्लास वर्क्स एवं मै०पकाई भट्टी विकास सहकारी समिति लि० द्वारा गैसापूर्ति/स्थानान्तरण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।


(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (08.10.2021)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में स्थापित/संचालित ग्लास इण्डस्ट्रीज को गैसापूर्ति/गैस संयोजन एवं स्थानान्तरण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

d rsh



मै0पकाई भट्टी हितकारी औद्योगिक सहकारी समिति, फिरोजाबाद को गैसापूर्ति हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-एजेण्डा बिन्दु सं0-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

2-रिट याचिका (सि0) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 एवं 11.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में रिट याचिका (सि0) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्ष की अवधि में (दिनांक 05.04.2016 से 29.01.2021 तक) वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की छायाप्रतियाँ जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस (उ0प्र0) एवं भरतपुर (राज0) को कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रेषित की गयी हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा से सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जबकि जिलाधिकारी, हाथरस व भरतपुर (राज0) से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह पाया गया कि जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा से जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, मात्र वृक्षों के पातन एवं वृक्षों के रोपण का उल्लेख करते हुये मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अनुपालन की अद्यतन स्थिति का बिन्दु/शर्तवार उल्लेख करते हुये, सूचनायें उपलब्ध कराया जाना वांछनीय था। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा के द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन/परीक्षण करने के उपरान्त आदेशों में उल्लिखित शर्त के अनुसार शर्तवार अनुपालनीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति/सूचनायें आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जायें एवं इसी प्रकार जिलाधिकारी, हाथरस व भरतपुर (राज0) के द्वारा भी वांछित सूचनायें आगामी बैठक से अवश्यमेव उपलब्ध करायी जायें। जिला प्रशासन द्वारा नामित ए0डी0एम0/एस0डी0एम0 द्वारा संयुक्त रूप से प्रभागीय निदेशक के साथ निरीक्षण कर उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुये जिलाधिकारी के माध्यम से वांछित आख्या उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस,भरतपुर(राज0))

4-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित वाहनों/पुराने वाहनों, जुगाड़ वाहनों के पीयूसी, डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध, पब्लिक/कॉमर्शियल वाहनों हेतु सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2022 द्वारा सूचित किया है कि आगरा, फिरोजाबाद एवं मथुरा जनपद में दिनांक 01.04.2021 से 28.02.2022 तक 15 वर्ष पुराने, जुगाड़ वाहनों, 3000 किग्रा0 के डीजल संचालित लोडर वाहनों व अपंजीकृत ई-रिक्शा तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	चालानों का विवरण	आगरा	फिरोजाबाद	मथुरा	योग
1.	15 वर्ष पुराने वाहनों के चालानों की संख्या	179	8	0	187
2.	जुगाड़ वाहनों के चालानों की संख्या	10	0	0	10
3.	3000 किग्रा0 लोडर के चालानों की संख्या	35	10	16	61
4.	ई-रिक्शा चालानों की संख्या	0	0	16	16
	कुल योग	222	18	32	272
	वायु प्रदूषण के चालानों की संख्या	1021	71	468	1560

उक्त वाहनों में से नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा अपने कैमरे में कैचर पंजीयन निरस्त वाहनों में से लगभग 33000 वाहनों पिछले छः माह में संचालित पायी गयी हैं। पंजीकृत स्वामी को 15 दिन का नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है कि तत्काल अपने वाहन का संचालन बन्द कर वाहन को डिसमेन्टल कराकर उसका चैसिस टुकड़ा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबन्ध तथा समस्त स्कूल बस व अन्य प्रकार के व्यवसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से संचालित हो रहे हैं। पंजीयन की वैधता समाप्त होने पर री-रजिस्ट्रेशन एन0ओ0सी0 टी0टी0जैड0 क्षेत्र से बाहर के जनपद/प्रदेश में ले जाने की स्थिति में ही किया जाता है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में जो वाहन 15 वर्ष पुराने हो गये हैं, उनके पंजीकरण निरस्त किये जायें। आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन/री-रजिस्ट्रेशन पर एवं शहर में संचालित जुगाड़ के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/वाहनों के पीयूसी निरन्तर चैक कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्कूल बस/अन्य प्रकार के व्यवसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से ही संचालित हों। यह सम्भावना है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन0ओ0सी0 लिये जाने के उपरान्त भी 15 वर्ष पुराने वाहनों को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में चलाया जा रहा हो। अतः इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित कर आर0टी0ओ0 द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक एन0ओ0सी0 दिये जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कृत कार्यवाही से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आर0टी0ओ0, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

5-प्लॉट सं0 सी-47, इण्डस्ट्रियल एरिया फाउण्ड्री नगर, ग्राम-नरायच, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा (क्षेत्रफल 3492 वर्गमी0) पर ऑटोमोबाइल सर्विस वर्कशॉप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र0सं0-18 पर "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)", जो नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं वायु प्रदूषण स्कोर 20 दर्शित है, भी सम्मिलित है। सेक्टरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)" हेतु सेक्टरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने के लिए नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

6-रिट याचिका (सि0) सं0-13381/1984-एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुसार बिन्दु सं0-(i) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में सेक्टरियल गाइडलाइन्स अपेक्षित है। नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय की ओर से सर्वसम्बन्धित विभागों को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है।

बिन्दु सं0-(i) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में स्टेट इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी के अन्तर्गत स्टेट इन्वायरनमेन्ट अप्रेजल कमेटी (एस.ई.ए.सी.) तथा पर्यावरण,

d nish

[Handwritten signature]

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट कमेटी (ई.ए.सी.) में नीरी के प्रतिनिधि का सदस्य के रूप में नामित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्रांक-498 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है।

बिन्दु सं0-(iii) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने की स्थिति में शासन स्तर से अग्रिम मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 503 दिनांक 14.02.2022 प्रेषित किया गया है तथा अनुस्मारक-1 सं0 539 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में प्रकरण में शासन स्तर से मार्गदर्शन अपेक्षित है। इसके साथ ही सन्दर्भित प्रकरण में अग्रिम मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 502 दिनांक 14.02.2022 प्रेषित किया गया है तथा दिनांक 07.04.2022 को अनुस्मारक-1 सं0 540 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अपर निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं0-F.No.Q-18011/30/2011-CPA(Part-1) दिनांक 18.04.2021 में मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.21 में वृक्षों के पातन से सम्बन्धित बिन्दु/निर्देश का उल्लेख करते हुये यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 09.03.2022 के कार्यवृत्त बिन्दु-xi के अन्तर्गत प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्रीज/एक्टिविटीज में वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के बिन्दु/प्रकरण में निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं-

xi. In case, any project/industries/activity does not involve tree felling, the project proponent is required to submit an affidavit to this effect to TTZA. TTZA may issue necessary direction in this regard. (Action - TTZA).

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 जो सूचनायें मांगी गयी हैं, वह समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा तैयार कराकर नीरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायें। नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने पर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.04.2021 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को सम्पन्न बैठक में बिन्दु सं0-xi के अन्तर्गत पारित निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन से भी उक्त बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (16.12.2021)-

गत बैठक के निर्णयानुक्रम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 16.12.2021 पर निम्नानुसार चर्चा की गयी-

- (1) आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण होना-अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, आगरा के पत्रांक-2560/3/टी0टी0जैड0 दिनांक 16.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि यमुना नदी पर ताजमहल से लगभग 9.6 किमी0 ऊपर की ओर जवाहर ब्रिज के अपस्ट्रीम में आगरा बैराज के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1991 में प्रदान की गयी। इस परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 में जारी की गयी परन्तु केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में जारी स्वीकृति को निलम्बित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 20.12.2002 में इस

परियोजना को टी0टी0जैड0 से विलग कर दिया गया। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस शर्त के साथ पानी के बहाव को इस तरह मैनेज किया जाये कि डाउनस्ट्रीम में आने वाले पानी की गुणवत्ता बनी रहे। परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में बहाल कर दी गयी। इस बैराज का निर्माण मुख्यतः आगरा शहर की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए किया जाना था, अतः इसके लिए वित्त पोषण नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना था। प्रस्तावित आगरा बैराज साईट पर अनेकों कॉलोनियों विकसित होने एवं भू-अर्जन अधिनियम-2013 लागू होने के कारण बैराज के डूबक्षेत्र से प्रभावित भूमि की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से आगरा बैराज का निर्माण नहीं हो सका। जल निगम आगरा द्वारा अपर गंगा नहर पर स्थित पालड़ा झाल (बुलन्दशहर) से पाईप लाइन के माध्यम से 150 क्यूसेक गंगाजल लाया जा रहा है तथा सिंचाई विभाग द्वारा गोकुल बैराज मथुरा के डाउनस्ट्रीम में 115 क्यूसेक जल आगरा शहर के पेयजल हेतु निरन्तर यमुना नदी में उपलब्ध कराया जा रहा है। उ0प्र0जल निगम आगरा के अनुसार गंगाजल लाये जाने से आगरा शहर की लगभग 2035 तक की घरेलू पेयजल मांग पूर्ण हो जायेगी।

- (2) आगरा में रिंग रोड का निर्माण होना—मुख्य अभियंता, आ0वि0प्रा0, आगरा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इनर रिंग रोड प्रथम चरण, जिसकी लम्बाई 10.88 किमी0 है एवं जो कि 6 लेन हाई एम्बैंकमेन्ट सड़क है, का निर्माण कुबेरपुर (एन0एच0-2) से, जो कि यमुना एक्सप्रेस-वे को भी जोड़ता है, से फतेहाबाद रोड तक पूर्ण करा दिया गया है, जिससे दिल्ली से आने वाला समस्त ट्रैफिक शहर के अन्दर से न जाकर यमुना एक्सप्रेस-वे से इनर रिंग रोड के माध्यम से सीधे ताजमहल पहुँच रहा है। इनर रिंग रोड प्रथम चरण किमी0 7.6 पर लखनऊ एक्सप्रेस-वे को भी जोड़ता है। आगरा इनर रिंग रोड, द्वितीय चरण, जिसकी लम्बाई 7.13 किमी0 एवं 6 लेन हाई एम्बैंकमेन्ट सड़क है, जो कि फतेहाबाद रोड से देवरी रोड से लगभग 200 मी0 पूर्व तक है, का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य फतेहाबाद रोड से शमशाबाद रोड तक 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शमशाबाद रोड से देवरी रोड तक के भाग का कार्य भी लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जोड़ने हेतु फतेहाबाद रोड ऊपर फलाई ओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति में है, जो कि 31 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने की योजना है। आगरा इनर रिंग रोड तृतीय चरण, जो कि इनर रिंग रोड द्वितीय चरण को ग्वालियर रोड से जोड़ेगा, का कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराए जाने की योजना है। तृतीय चरण की कार्य योजना एन0एच0ए0आई0 के स्तर पर प्रगति में है। ग्वालियर रोड से जयपुर रोड को जोड़ते हुये मथुरा रोड (एन0एच0-2) तक पूर्व में ही दक्षिणी बाईपास निर्मित है। इस प्रकार तृतीय चरण पूर्ण होने के उपरान्त दिल्ली, नोएडा, इटावा, कानपुर, लखनऊ से आने वाले वाहन शहर के अन्दर से न जाकर इनर रिंग रोड के माध्यम से फतेहाबाद, ताजमहल, शमशाबाद, ग्वालियर, जयपुर, फतेहपुर सीकरी, मथुरा पहुँच सकेंगे।

- (3) ताज ट्रैपेजियम जोन के सभी जिलों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति किया जाना—मुख्य अभियंता (तक0), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पत्रांक-2152 दिनांक 11.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि टी0टी0जैड0 के अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों में ब्रेकडाउन अवधि को छोड़कर 24.00 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री केशो मेहरा द्वारा मुख्य अभियंता (तक0) को प्रेषित पत्रांक-2022/04/19-1 दिनांक 19.04.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (तक0) का द्वारा दिया गया उत्तर मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। ताज ट्रैपेजियम जोन के सभी जनपदों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति की जाये।

उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण प्रकरणों के अतिरिक्त सदस्यगणों के उक्त प्रत्यावेदन में कतिपय अन्य सुझाव भी दिये गये हैं, जैसे—घरेलू गैसापूर्ति सिलेण्डरों की रियायती दर 50 प्रतिशत किया जाना, टी0टी0जैड0 के 06 जनपदों में ग्रीन गैस की लाईन बिछायी जाना, निर्माण कार्य/खुदाई कार्य पर पानी का छिड़काव किया जाना व कपड़े से ढंकर किया जाना, तामहल के निकट 5 किमी0 के क्षेत्र में ताजमहल की ऊँचाई से अधिक फुब्बारे लगाया जाना, ताजमहल के निकट 5 किमी0 के क्षेत्र में सभी सड़कें रबराइज्ड रोड अथवा सीमेंट-कंक्रीट की बनाया जाना तथा ताजमहल के 5 किमी0 की परिधि में खाली जगहों पर सघन वृक्षारोपण कराया जाना।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं/सुझावों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जाये। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के

h m

B

P

आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में की जा रही विद्युतापूर्ति का विवरण/अद्यतन स्थिति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये। मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा को आगामी बैठक में प्रतिभाग में किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाये। आगरा विकास प्राधिकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत इनर रिंग रोड (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। एन०एच०ए०आई० के द्वारा इनर रिंग रोड (तृतीय चरण) का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये ताकि जनसामान्य को इनर रिंग रोड का लाभ प्राप्त हो सके। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-ए०डी०एम०(ना०आ०)/मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/समस्त कार्यदायी संस्थायें/आ०वि०प्रा०/नगर निगम/एन०एच०ए०आई०/ग्रीन गैस लि०/डी०एफ०ओ०, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-०३ (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर निगम के द्वारा ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में सफाई कार्य डोर-टू-डोर कलेक्शन हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था मै०लॉयन्स सर्विसेज प्रा० लि० के माध्यम से प्रतिदिन सफाई कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मैकेनाइज्ड स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में ०६ वार्ड में डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में धनराशि की कमी के कारण कठिनाई हो रही है क्योंकि ताजमहल के आसपास आउटसोर्सिंग से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी को रू० ५२.०० लाख/माह भुगतान किया जाता है, जिसमें से रू० ४० लाख प्राधिकरण द्वारा तथा रू० १०-११ लाख नगर निगम द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेन्सी को लगभग ३-४ माह का भुगतान लम्बित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण की समस्त कॉलोनियों नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की लगातार सफाई करायी जाती है, जिससे कि रोड साईड में कोई डस्ट न हो एवं वायुमण्डल में धूल के कण ट्रैफिक के आवागमन के कारण न फैले।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत १४९५ सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन सफाई करायी जाती है। व्यवसायिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुबह एवं सांय २ पालियों के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई का कार्य कराया जाता है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्रान्तर्गत वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है। एन०एच० के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज०) से प्राप्त सूचनानुसार नगर निगम भरतपुर के अन्तर्गत ६५ वार्ड हैं, जिनको १३ जोन क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। प्रत्येक जोन में एक-एक सफाई निरीक्षक एवं प्रत्येक वार्ड में एक सफाई जमादार नियुक्त किया हुआ है तथा निगम के स्थाई एवं संवेदक के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य किया जाता है। निगम द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में रात्रि कालीन सफाई करवायी जाती है। नगर निगम द्वारा निगम के ६५ वार्डों से प्रतिदिवस घर-घर कचरा संग्रहण कार्य कराया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया है कि आगरा नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन सफाई का कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मैकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराया जाये। नगर निगमों के द्वारा शहर के मुख्य-मुख्य मार्गों की मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाये तथा रोड साईड डस्ट को रोड के किनारे से हटाकर रखा जाये ताकि डस्ट पुनः रोड पर जमा न हो सके। नालों एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट को किसी भी दशा में सड़क के किनारे न रखा जाये। कृत कार्यवाही से टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/न०पा०प०/नगर पंचायत/विकास प्राधिकरण)

L. Singh

[Signature]


ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में कूड़ा न जलाये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर आगरा नगर निगम द्वारा विशेष सफाई व्यवस्था के साथ ही नियमित निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कूड़ा जलाए जाने की घटनाओं को रोका गया है। उक्त स्थलों का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी किया जाता है। कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 03 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 3,05,000/- का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही 05 लोगों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है तथा नगर निगम के सम्बन्धित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में जबाव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कूड़ा जलाने में संलिप्त पाये जाने पर नगर निगम के दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। अवगत कराया गया कि लैडर वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर निगम द्वारा एक एन०जी०ओ० के साथ स्टडी की जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुयी है।


नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी सीमा में कूड़ा जलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 09 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई। कूड़ा जलाने पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर माह अप्रैल 2021 से 20.04.2022 तक ₹० 58,200/- का जुर्माना वसूला गया है तथा समस्त सफाई कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में कूड़ा न जलाने हेतु आदेशित कर दिया गया है तथा आमजनों को भी कूड़ा न जलाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम, फिरोजाबाद में कार्यरत समस्त सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा न जलाने के सम्बन्ध में नगर निगम के जीवाराम हॉल में दिनांक 04.03.2022 एवं 14.03.2022 को प्रशिक्षण दिया गया है तथा सभी सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा जलाने के प्रति संवेदीकरण भी किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाते हुये कार्यवाही की जा रही है। उक्त के कम में दिनांक 16.11.2021 को कोतवाली वृन्दावन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं माह दिसम्बर-2021 में पागल बाबा मन्दिर के समीप कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध ₹० 10,000/- का जुर्माना वसूला गया है। कुल 03 लोगों के विरुद्ध एफ०आई०आर० (01-माह दिसम्बर, 2021 तथा 02-माह मार्च, 2022 में) दर्ज करायी गयी है। पतझड़ के कारण कुछ लोग पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफाल्टर मथुरा का वेटेनरी कॉलेज पाया गया, उनके वाईस-चांसलर को पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त वेटेनरी कॉलेज के समीप पत्ते जलाया जाना बन्द हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रायः देखा जा रहा था कि रेलवे ट्रैक के बगल में कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा करके जला देते थे, जिसके लिए मण्डल रेल प्रबन्धक, (पूर्वोत्तर रेलवे) इज्जत नगर, बरेली एवं मण्डल रेल प्रबन्धक, (उ०म०रे०) आगरा को रेलवे ट्रैक के बगल में कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर रेलवे द्वारा मानीटरिंग की गयी, जिसके फलस्वरूप रेलवे ट्रैक के बगल में कूड़ा जलाने की घटनायें कम हो गयी हैं। नगर निगम में 04 जोन हैं, जिनसे सम्बन्धित सभी सेनीटरी इन्सपेक्टर एवं सुपरवाइजर्स को अलग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त सूचनानुसार जनपद एटा के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के तहत 59 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 54,300/- का जुर्माना वसूला गया है। जनपद हाथरस के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के तहत 04 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 27,000/- का जुर्माना वसूला गया है। जनपद एटा व हाथरस में कूड़ा जलाने पर एफ०आई०आर० की सूचना शून्य है। गत बैठक में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में जनपद आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद के ताज संरक्षित क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल/पॉलिथीन/कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निरीक्षण कर मानक के उल्लंघन की जाँच हेतु एवं निर्धारित प्रारूप पर बैठक से पूर्व निरीक्षण आख्या/सूचना दिनांक 17.04.2022 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपदवार टीमों का गठन किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि चिन्हित किये गये 12 प्रमुख स्थल, जहाँ सॉलिड वेस्ट बर्निंग पूर्व में होती पायी गयी, का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा कराया





गया। निरीक्षण आख्यानसार 02 स्थलों पर कूड़ा-करकट जलने के अपशिष्ट पाये गये तथा अन्य स्थलों पर कूड़ा-करकट बिखरा हुआ पाया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद एटा में कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही नहीं की गयी है, इस प्रकार जनपद एटा की सूचनायें संतोषप्रद नहीं हैं। इसी प्रकार जनपद हाथरस के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी नगर पालिका परिषद् के द्वारा कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 नहीं करायी गयी है। खेद व्यक्त किया गया कि जनपद भरतपुर से भी निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें अप्राप्त हैं। निर्देश दिये गये कि जनपद भरतपुर (राज0) से बैठक के निर्णयानुक्रम में भरतपुर (राज0) के सम्बन्धित विभागों से वांछित अनुपालन आख्या/सूचनायें प्राप्त नहीं होने तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठकों में प्रतिभाग किये जाने वाले एवं भाग न लेने वाले सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान शासन को तत्काल पत्र प्रेषित कराया जाये, जिसकी प्रतिलिपि भरतपुर (राज0) के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी पृष्ठांकित की जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

जनपद-भरतपुर (राज0) के समस्त सम्बन्धित विभागों की सूचनायें/अनुपालन आख्यायें एकत्रित कर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए भरतपुर (राज0) के ए0डी0एम0 को नोडल अधिकारी नामित किया जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0) को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

आगरा नगर निगम द्वारा लैदर कटिंग के पर्याप्त निस्तारण के लिए पॉलिसी बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जिन जनपदों में ईट भट्टे संचालित हैं, उनका सम्बन्धित जनपदों के एस0डी0एम0 के द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट भट्टों में ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैदर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग किसी भी दशा में न हो। ईट भट्टों में उक्त प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 द्वारा ईट भट्टा संचालकों को अधिनियमान्तर्गत नोटिस जारी किये जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा/सम्बन्धित एस0डी0एम0/उ0प्र0प्र0नि0बो0)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा चिन्हित 12 प्रमुख स्थलों पर नगर निगम आगरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त स्थलों पर किसी भी दशा में सॉलिड वेस्ट बर्निंग न होने पाये। जिन स्थलों पर बहुतायात मात्रा में लैदर कटिंग पायी जायें, उन्हें नगर निगम द्वारा रात्रि के समय उठवाया जाये ताकि लैदर कटिंग को जलाया न जा सके।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)


अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयापूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें तथा विश्लेषण कर अगली बैठक में अवगत कराया जाये। गठित टीमों के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के जनपदों में निरीक्षण कराया जाये। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-05 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन हेतु सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए पीपीपी मोड पर बैंगलोर की फर्म मै0स्वच्छता कॉर्पोरेशन के साथ अनुबन्ध किया है, जिसके अन्तर्गत फर्म द्वारा 37 वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर अपने संसाधनों से कार्य किया जा रहा है एवं शेष 63 वार्डों में नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुये डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन का कार्य कराया जा रहा है। वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र 15 मेगावाट को ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह दिनांक

L 222




04.01.2022 को किया गया है। विभिन्न 13 सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है। अनापत्ति उपरान्त प्लाण्ट का संचालन शीघ्र किया जायेगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट स्थल पर 400 टन का एक बैड वेस्ट टू बायो-सीएनजी/बायो-केरीसीन प्लाण्ट की कार्य-योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए सम्बन्धित संस्था के साथ नेगोशियेट किया जा रहा है। 150 टन/दिन के कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्लाण्ट की स्थापना/संचालन हेतु भी मा0सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए फर्म द्वारा नयी एस0पी0वी0 बनवाने के लिए अनुरोध किया गया है। 05 टी.पी.डी. क्षमता का कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्लाण्ट कुबेरपुर में स्थापित किया जा चुका है, जिसके लिए विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान निवेश-मित्र पोर्टल पर किया जाना है। विद्युत कनेक्शन उपरान्त प्लाण्ट संचालन की स्थिति में आ जायेगी। पेठा उत्पादन से जनित वेस्ट हेतु पूर्व में रू0 12.00/किग्रा0 की दर से पेठा व्यावसायियों से यूजर चार्ज लिये जा रहे थे, जिसके लिए पेठा व्यावसायी तैयार नहीं होते थे इसलिए अब पेठा व्यावसायियों के पेठा उत्पादन से जनित वेस्ट डोर-टू-डोर निःशुल्क उठवाये जाने की कार्य-योजना बनाते हुये कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी Uncategorized Sectors हैं, जो कि अधिकांश पुराने शहर में हैं, उनके वेस्ट का निःशुल्क कलेक्शन किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सेग्रिगेशन का कार्य विभागीय स्तर पर सम्पादित कराया जा रहा है। अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुए गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है एवं यथासम्भव सूखे कचरे का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 को अंगीकृत कर नियमावली में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चनौरा स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर दो एम0आर0एफ0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके लिए मै0मुस्कान इंटरप्राइजेज के साथ निष्पादति अनुबन्ध के अनुसार फर्म द्वारा एम0आर0एफ0 का संचालन अपने संसाधनों एवं श्रमशक्ति द्वारा किया जा रहा है। एम0आर0एफ0 के संचालन से नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। एम0आर0एफ0 की क्षमता वृद्धि हेतु मशीनरी की स्थापना के लिये 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की बैठक में रू0 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मशीनरी की स्थापना हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है। गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु दो विन्ड्रोज की स्थापना की जा चुकी है एवं दोनों ही क्रियाशील हैं, साथ ही कम्पोस्ट पिट्स की सहायता से गीले कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट पिट्स एवं विन्ड्रोज को मिलाकर प्रसंस्करण क्षमता लगभग 50 टन प्रतिदिन है। 05 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लाण्ट स्थापित किया गया है जो क्रियाशील है। नगर निगम फिरोजाबाद में उपलब्ध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 5.265 हे0 भूमि पर 250 टी0पी0डी0 क्षमता के वेस्ट टू कम्पोस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यवाही संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। राज्य मिशन निदेशक, (एस0बी0एम0), राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मद के अन्तर्गत कचरे के कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन आदि हेतु नगर निगम फिरोजाबाद को रू0 10.35 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके क्रम में 1 कैटल कैचर, 50 मिनी टिपर एवं 08 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर का क्रय कर लिया गया है एवं 25 मिनी टिपर एवं 07 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कलेक्शन के सापेक्ष नगर निगम द्वारा माह अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक रू0 1,19,388/- रू0 यूजर शुल्क वसूली की गयी है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू पर 180 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट क्रियाशील है। उक्त प्लाण्ट का संचालन नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा स्वयं के संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन एकत्रित होने वाले लगभग 150-180 टन कचरे का प्रसंस्करण कर खाद बनाया जा रहा है। माह फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक कुल 682.26 टन को निर्धारित रू0 311 प्रतिटन की दर से रू0 2,12,636/- में विक्रय किया गया है। यमुनापार नगर कोल्हू में सूखे कचरे के निस्तारण हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मैटेरियल रिकवरी सेन्टर का निर्माण कराया गया है जिसका संचालन पीपीपी मोड पर 21वीं सेन्चुरी पॉलिमर्स संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। यमुना पार नगर कोल्हू पर कचरे का पृथक्कीकरण कर प्राप्त होने वाली पॉलीथीन एवं प्लास्टिक आदि से पैटर्सन एनर्जी संस्था के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल प्लाण्ट के माध्यम से ईंधन बनाया जा रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 06 टन प्रतिदिन है। वृन्दावन जोन में हजारी मल सोमानी ग्राउण्ड के निकट 05 टन क्षमता का ओर्गेनिक वेस्ट टू

L ML



कम्पोस्ट प्लाण्ट, 10 टन क्षमता वाला एमआरएफ, मण्डी समिति वृन्दावन में 01 टन क्षमता का आर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट एवं मांट रोड पर ट्रान्सफर स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। नगला कोल्हू प्लाण्ट पर एकत्रित 2.60 लाख टन लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु शासन द्वारा ब्लैक बैरी ओवरसीज संस्था को अधिकृत किया गया है। संस्था द्वारा प्रथम ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 23.10.2021 को एवं द्वितीय ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) 10.12.2021 को स्थापित कराते हुये प्रतिदिन संचालन कार्य प्रतिदिन 02 पालियों में कराया जा रहा है। इस प्रकार लगभग कुल 25,000 टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मथुरा में जितने भी फ्लावर्स का वेस्ट है, वह बृजगंधा संस्था को दिया जाता है, जिसके द्वारा फ्लावर्स को ड्राई करके अगरबत्ती, धूप आदि बनायी जाती है। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के द्वारा मथुरा में मोक्षधाम में एक गोकाष्ठ प्लाण्ट स्थापित/संचालित किया जा रहा है, जो कि नगर निगम से गोबर चालीस पैसा/किग्रा0 की दर से क्रय कर गोकाष्ठ बनाये जाते हैं, जिसे शवदाह प्रक्रिया हेतु उपयोग में लाया जाता है। गोकाष्ठ से इमीशन लकड़ी की तुलना में काफी कम जनित होता है। रू0 1.65 करोड़ की अनुमानित लागत का 100 टीपीडी का एक गोबर प्लाण्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, मथुरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज0) से प्राप्त सूचनानुसार प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में निगम द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु मै0रोल्ज मैटेरियल हैण्डलिंग सिस्टम प्रा0लि0 को कार्यादेश जारी किया गया है। प्रसंस्करण संयंत्र की सहायता से नगर निगम भरतपुर क्षेत्र में निकलने वाले कचरे से कम्पोस्ट आरडीएफ बनाया जायेगा व सेनीटरी लैण्डफिल साईट विकसित की जायेगी। परियोजना संयंत्र की स्थापना कर निस्तारण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.02.2022 को अछनेरा में स्थापित/संचालित सोलर बेस्ड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट का आगरा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट का संचालन संतोषजनक पाया गया। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के संचालन के दृष्टिगत समिति द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये हैं। उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण, आदि से जुड़ी ऐसी परियोजना/गतिविधियों का चिन्हांकन किया गया है, जिनके क्रियान्वयन से ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत बेहतर साबित हो सकता है। जैसे-म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स-2016 के अनुसार प्रबंधन किया जाना, Bio-degradable waste to the decentralized processing facilities, Non Bio-degradable waste (recyclable and combustible), Solid Waste Processing facilities, Landfill, Legacy waste, Energy Consumptions, Hazardous Waste Facility, Public Awareness आदि।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 21.01.2022 एवं 17.02.2022 को सेवला आगरा स्थित आगरा छावनी के ट्रैनिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण किया गया। कैण्टोनमेंट बोर्ड द्वारा वर्तमान में मात्र सॉलिड वेस्ट को एकत्र कर सेवला स्थित ट्रैनिंग ग्राउण्ड में डम्प किया जा रहा है। निरीक्षण के समय डम्पिंग स्थल पर लीगेसी वेस्ट का भण्डारण पाया गया तथा MSW Rules 2016 के अनुसार प्रबंधन एवं निस्तारण की प्रक्रिया होती हुयी नहीं पायी है। माह मार्च, 2022 में किये गये निरीक्षण के समय कैण्टोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी टेण्डर में अनुबंधित फर्म मै0दयाचरण एण्ड कम्पनी द्वारा टेण्डर की शर्तों के अनुरूप मानकों के अनुसार सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जाता पाया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश किया गया कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त प्रस्तावित प्लाण्ट्स की स्थापना शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये, जिनका संचालन पर्यावरणीय सुधार के लिए श्रेयस्कर हो। अन्य जिलों के नगर आयुक्तों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वेस्ट टू एनर्जी, सी0एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग, डंग टू कम्पोस्ट, एम0आर0एफ0 आदि प्लाण्ट्स, जो स्थापित नहीं हैं, की स्थापना करायी जायेगी, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा जनपदों में जनित अपशिष्टों का परीक्षण कर स्थापित कम क्षमता वाले प्लाण्ट्स की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यथासम्भव आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत)

छावनी परिषद् द्वारा छावनी क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट, लीगेसी वेस्ट, बायोमायनिंग के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा छावनी परिषद् के गन्तव्य स्थल का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये तथा रिपोर्ट टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-छावनी परिषद्/आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-०६ (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सक अपशिष्ट पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अवगत कराया जायेगा। वर्तमान में नगर निगम, आगरा की सूचना शून्य है

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा शहर में स्थित समस्त निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण जे०आर०आर० आगरा की संस्था द्वारा किया जाता है तथा अगर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर जैव अपशिष्ट फेंका जाता है तो नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में स्वशासी राजकीय चिकित्सालय/जिला अस्पताल के चिकित्सालय अधीक्षक को इस कार्यालय के पत्र सं० 2831/सा०प्र० /स्वा०वि०/2021-22 दिनांक 13.10.2021 द्वारा भी अवगत कराया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट आगरा से सूचनायें मांगी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि फिरोजाबाद जनपद में निजी/अस्पताल/नर्सिंग होम, ब्लड बैंक, पेट्रोलोजी, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन व निस्तारण का कार्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट आगरा द्वारा किया जा रहा है लेकिन जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट से वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान में नगर निगम, फिरोजाबाद को ठोस अपशिष्ट में जैव अपशिष्ट दृश्य नहीं हुआ है, जिसके कारण सूचना शून्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फिरोजाबाद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन-2016 (यथासंशोधित) के अनुपालन के सम्बन्ध में उनके कार्यालय द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत 127 हेल्थ केयर फॅसिलिटीज (नर्सिंग होम/अस्पताल आदि) को दिनांक 08.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। जनपद-फिरोजाबाद के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में स्थापित/संचालित हेल्थ केयर फॅसिलिटीज (नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि) की पंजीकृत नवीनतम सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 08.04.2022 को पत्र प्रेषित किया है। हेल्थ केयर फॅसिलिटीज द्वारा स्वयं ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट की लॉग-बुक मैन्टेन की जाती है, उसमें हेल्थ केयर फॅसिलिटीज द्वारा यह दर्ज नहीं किया जा रहा है कि उनके हास्पिटल/नर्सिंग होम से कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट जे०आर०आर० कम्पनी को निस्तारण हेतु दिया गया है जबकि जितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठान किया जा रहा है, उसकी मात्रा लॉग-बुक में स्पष्ट अंकित की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला चिकित्साधिकारी मथुरा द्वारा संस्था नामित की गयी है। इसके अतिरिक्त नगला कोल्हू प्लाण्ट पर पहुंचने वाले वेस्ट का निरीक्षण प्लाण्ट के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। ठोस अपशिष्ट कलेक्शन के समय निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से चैक किया जाता है तथा ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट मिलने पर ठोस अपशिष्ट को नहीं लिया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमण करके लॉग-बुक की नियमित जांच करायी जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप-मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का हास्पिटल/नर्सिंग होम के द्वारा नियमानुसार निस्तारण कराया जा रहा है।

2 28/4

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में स्थापित/संचालित हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के अनुसार जैव चिकित्सा वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित नहीं पाया गया है। 50 बेड और 10 बेड वाले हास्पिटल/नर्सिंग होम्स की लॉग-बुक चैक करने पर कतिपय कमियाँ भी पायी गयी हैं। 50 बेड तथा उसे अधिक बेड के हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण ठीक प्रकार से कराया जा रहा है लेकिन 50 बेड से नीचे तक हास्पिटल/नर्सिंग होम्स की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी है। ऐसे 16 हास्पिटल/नर्सिंग होम्स को चैक करने पर यह संज्ञान में आया कि उनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं कराया जा रहा है। मै0जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का सम्बन्धित हास्पिटल/नर्सिंग होम्स से मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा महानगर आगरा के निजी चिकित्सा संस्थानों के सत्यापन की सूची प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मै0 जे0आर0आर0 द्वारा मैन्टेन लॉग-बुक के अनुसार शेष हास्पिटल/नर्सिंग होम से उत्पन्न जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण का सत्यापन कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा संस्थानों के सत्यापन करने पर चिकित्सा संस्थानों के पास मै0जे0आर0आर0 कम्पनी को भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाये गये परन्तु चिकित्सा संस्थानों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नियमित किया जाता है, उनके द्वारा मै0जे0आर0आर0 से भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जायेंगे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट सम्बन्धी लॉगबुक में मैसर्स जे0आर0आर0 द्वारा मात्र हस्ताक्षर कालम में हस्ताक्षर किये पाये गये परन्तु उसके सापेक्ष कितने वजन का बायो वेस्ट चिकित्सा संस्थानों के उठाया गया सत्यापन नहीं है। उपरोक्त सत्यापन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा व हास्पिटल पंजीकरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा की संयुक्त टीम गठित कर सभी चिकित्सालयों का नियमित सत्यापन करने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को अवगत कराया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि समस्त नगर निगमों के द्वारा अपने स्तर पर बैठकें आयोजित कर ली जायें तथा यह ज्ञात किया जाये कि मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 को किस हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के द्वारा कितने बेड का कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट दिया गया तथा कम्पनी को कितना भुगतान किया गया है ताकि विचलन की स्थिति स्पष्ट हो सके। ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये। उपरोक्त के क्रम में निगमों द्वारा कृत कार्यवाही तथा गत बैठक के निर्णयानुक्रम में निर्धारित रूप में वांछित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से कम्पनी द्वारा मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का सत्यापन कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/मु0चि0अ0/नगर निगम,आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद/भरतपुर)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-07 (25.04.2022)

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/ 2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-आगरा के तहसील-खेरागढ़ में संचालित गैंगसा इकाइयों से जनित प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता श्री अशोक द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में मा0अधिकरण द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

"7. In view of above, we direct the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority and the State PCB and other concerned Departments to hold a joint meeting within one month and prepare an action plan for remedial action having regard to the ground situation so as to support the 'Sustainable Development' principle. State PCB will be the nodal agency for compliance. This will also include scientific management of slurry, installing proper Rain Water Harvesting systems, air quality norms and regulation of groundwater in the interest of rule of law and protection of environment and public health. The application is disposed of. A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh, State PCB and Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority by e-mail for compliance."

याचिकाकर्ता श्री अशोक द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में 35 स्टोन क्रशर एवं इस प्रकार की इकाइयों के संचालन एवं इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण से ताजमहल, यमुना नदी एवं

d 28

जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा आवश्यक अनुमतियों प्राप्त किये बिना गहरी बोरिंग कर भूगर्भ जल दोहन किये जाने के कारण मा0अधिकरण में उपरोक्त ओ0ए0 दाखिल की गयी है, जिसमें दिनांक 16.03.2022 को पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के क्रम में स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) के सम्बन्ध में एयर क्वालिटी नार्म्स, रेगुलेशन ऑफ ग्राउण्ड वॉटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं साईन्टिफिक मैनेजमेन्ट ऑफ स्लरी के सम्बन्ध में एक्शन प्लान बनाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करायी जानी है। मा0अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूगर्भ जल विभाग की ओर से सुश्री सुनीता नायडू, सहायक भू-भौतिकविद् एवं जिला खनन अधिकारी, आगरा को नामित किया गया है तथा सदस्य-संयोजक, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की ओर से मुख्य नगर नियोजक, आ0वि0प्रा0/नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा को नामित किया गया है।


अवगत कराया गया कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा के तहसील खेरागढ़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) स्थापित/संचालित हैं। स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) के द्वारा स्टोन ब्लॉक्स राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर एवं करौली आदि जिलों से लाये जाते हैं। इन स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) से जनित स्लरी का प्रयोग तहसील खेरागढ़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित लो-लैण्ड एरिया के भराव हेतु किया जाता है लेकिन मा0अधिकरण द्वारा अपने उक्त आदेश में स्लरी के साईन्टिफिक मैनेजमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं।

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.09.2020 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 02.03.2021 के अनुसार राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, जिनका भूगर्भ जल आहरण 10 घनमीटर/दिन से कम हो, को भूगर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्राप्त करने के उपबंध से छूट प्रदान की गयी है तथा ऐसे उद्योगों द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-10 एवं 11 के अधीन पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

मा0अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत विषयगत प्रकरण में एयर क्वालिटी नार्म्स, रेगुलेशन ऑफ ग्राउण्ड वॉटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं साईन्टिफिक मैनेजमेन्ट ऑफ स्लरी के सम्बन्ध में एक्शन प्लान बनाये जाने एवं प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 30.03.2022 को संयुक्त बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें संयुक्त समिति द्वारा पारित मा0अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों हेतु निम्नानुसार एक्शन प्लान बनाया गया है-

- 1- तहसील खेरागढ़ में संचालित स्टोन कटिंग इकाइयों के समीपवर्ती क्षेत्र में तीन स्थानों पर गैंगसा इकाइयों द्वारा छमाही परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा कराया जाये, जिसकी अनुश्रवण आख्या हर छः माह बाद स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों की एसोसिएशन द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत की जायेगी।
- 2- Scientific Management of Slurry हेतु तहसील खेरागढ़ में स्थापित/संचालित स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों में स्टोन कटिंग के दौरान जनित स्लरी का निस्तारण स्लरी को सेमी ड्राई कर इन्टरलाकिंग ब्लॉक्स/टाइल्स बनाकर ही किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों को निकटतम सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों से स्टोन कटिंग के दौरान जनित स्लरी उपलब्ध कराये जाने हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का एग्रीमेन्ट किया जायेगा तथा किये गये एग्रीमेन्ट की छायाप्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों द्वारा सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों को उपलब्ध करायी गयी स्लरी का लॉगबुक बनाये रखना अनिवार्य होगा, जिसकी तिमाही सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 4- सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों में मिक्सिंग ऑपरेशन से जनित फ्यूजिटिव इमीशन के नियंत्रण हेतु इन्टरलाकिंग ब्लॉक्स/टाइल्स का निर्माण कवर्ड शेड में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों द्वारा स्टोन कटिंग हेतु उपयोग किये गये जल को इकाई में स्थापित रिसाईकिल टैंक्स के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जायेगा।

d rsh



- 6- जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.09.2020 एवं उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-330/76-3-2021-44/2020 दिनांक 02.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा परिसर में नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कराया जायेगा जिसकी सूचना फोटोग्राफ सहित उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा स्टोन कटिंग से जनित स्टोन स्लरी/डस्ट को आस-पास के खुले स्थानों में एकत्रित नहीं किया जायेगा। यदि स्टोन स्लरी/डस्ट निकटतम स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाई के निकट एकत्रित पायी गयी तो इकाई के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों के आसपास लगभग 33 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्रांक 1011/81-7-2021-09/Writ/2016 दिनांक 13.02.2021 द्वारा मियावाकी पद्धति आधारित ग्रीन बेल्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त तकनीक www.up.ecp.in/training/session.aspx पर उपलब्ध है।
- 10- जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, आगरा द्वारा स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों को भण्डारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किये जाते समय उक्त शर्तों का अनुपालन भी देखा जाये।
- 11- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा मा0न्यायालयों/मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समय-समय पर जारी आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विस्तृत चर्चा उपरान्त मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत दिनांक 30.03.2022 को सम्पन्न कमेटी की संयुक्त बैठक में बनाये गये एक्शन प्लान पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मत स्थिर करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्त एक्शन प्लान का समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालन से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे मा0अधिकरण द्वारा नोडल विभाग नामित किया गया है, को अवगत कराया जाये। सम्बन्धित विभागों से कृत अनुपालनीय कार्यवाही सम्बन्धी आख्या प्राप्त/संकलित कर क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा मा0अधिकरण को ई-मेल पर प्रेषित की जाये तथा एक प्रति टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये। कृत कार्यवाही से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/समस्त सम्बन्धित विभाग/उ0प्र0प्र0नि0बो0,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-08 (25.04.2022)

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को सम्पन्न बैठक के निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 09.03.2022 को सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में इन्दिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी थी, ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक का कार्यवृत्त अनुभाग अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सीपी डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त बैठक में पारित निर्णयानुक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त बैठक दिनांक 09.03.2022 के कार्यवृत्त पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया कि सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाये। साथ ही उक्त कार्यवृत्त के क्रम में जो भी निर्देश टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के स्तर से निर्गत किये जाने

2 MB

[Handwritten signature]

हों, उनके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को तत्काल पत्र निर्गत किये जायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उक्त बिन्दु को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित विभाग/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी की शिकायतें कार्यालय में प्राप्त होती हैं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत उद्योगों की सूची दिनांक 07.03.2016 में क्र0सं0-44 पर लाल श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, जिसका जल प्रदूषण स्कोर 30 तथा हैजार्डस स्कोर 20 है। मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाइयों को बंद कराये जाने के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा संयुक्त आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि को रोके जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-65/2019 में दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-एन0जी0टी0-613/81-7-2019-152 (रिट)/2016, दिनांक 28.11.2019 द्वारा आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाइयों को बंद कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देश जारी किये गये हैं।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है-

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेंज कटेगिरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेंज कटेगिरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात् उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयों के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक-70/7/मु0 अभि0(वा0एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर टाईप हेतु प्राप्त अस्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने तथा प्राप्त स्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने हेतु प्रबंध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल, आगरा को निर्देश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा की गयी शिकायतों के क्रम में रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को उनके कार्यालय स्तर से इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि इकाई की स्थापना औद्योगिक/अनुमन्य क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेश मित्र के माध्यम से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित करें। 15 दिन में आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही/बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उसके उत्तरदायी प्रतिनिधि/व्यक्ति का होगा, जिसकी प्रतिलिपि आगरा विकास प्राधिकरण एवं टोरण्ट पॉवर लि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गयी है। तत्क्रम में शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुबंधित टोरण्ट पॉवर लि0 एवं आगरा विकास

L. M. S.

[Handwritten signature]

प्राधिकरण को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिसके कम में टोरण्ट पॉवर लि० एवं आगरा विकास प्राधिकरण से कार्यवाही अपेक्षित है। जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021, 15.12.2021 तथा 30.03.2022 में भी शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच किये जाने के सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" का गठन किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बन्द करने, उसका प्रतिषेध या विनियमन करने एवं विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन किया जाना निहित है।


तत्कम में विस्तृत चर्चा उपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के स्थायी/अस्थायी विद्युत संयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। इसी प्रकार यदि इकाइयों में अवैध रूप से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है तो भूगर्भ जल विभाग के द्वारा अवैध समर्सिबल को जब्त कर बन्द कराया जाये। रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों की सूची उ०प्र०प्र०नि०बो० द्वारा सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से टी०टी०जैड० प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।


(कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण/प्रबंध-निदेशक,द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि०/जल संस्थान/
भूगर्भ जल विभाग/उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

अध्यक्ष, उ०प्र०पॉवर कॉर्पो०लि०, लखनऊ के द्वारा समस्त प्रबन्ध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांक 02.11.2020 में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों के पश्चात् टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेंज कैटेगिरी के कितने प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को अब तक विद्युत संयोजन प्रदान किये गये हैं, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाये। साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों एवं अन्य शिकायती प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित इकाइयों के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु टोरण्ट पॉवर लि० को प्रेषित किये गये पत्रों के कम में टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा कितनी इकाइयों के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया गया है, के सम्बन्ध में सूची उपलब्ध करायी जाये। टोरण्ट पॉवर लि० के सम्बन्धित अधिकारी टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अगली बैठक में विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की समस्त सूचनाओं सहित बुलाया जाये।

(कार्यवाही-टोरण्ट पॉवर लि०/टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।



(अमित गुप्ता)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी.टी.जैड.प्राधिकरण,आगरा।

दिनांक 10.08.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न 'ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 57वीं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगणों/अधिकारियों/विशिष्ट आमंत्रियों के स्वागतोपरान्त 'ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 57वीं बोर्ड बैठक आरम्भ की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक-1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु सं0-1

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि-

'प्राधिकरण' की गत सम्पन्न 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0-2

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बैठक दिनांक 25.04.2022 की अनुपालन आख्या- 'प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के निर्णयानुक्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा से पूर्व 'ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र सं0-489(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003 में उल्लिखित शक्तियों/दायित्वों पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया। विभिन्न बिन्दुओं/प्रकरणों तथा प्रस्तावों पर बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये-


अन्य बिन्दु-


(1) प्लास्टिक/पोलीथीन के निस्तारण के सम्बन्ध में- सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा (सहायक नोडल अधिकारी) द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों तथा वर्तमान आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से परिलक्षित होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्व में की गयी कार्यवाही की अपेक्षा संतोषजनक है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा, जो कि नोडल अधिकारी नामित हैं, के द्वारा सम्बन्धित विभागों से निर्धारित प्रारूप पर जो सूचनार्यें प्राप्त की जायें, उसका भलीभांति परीक्षण कर लिया जाये कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनार्यें पूर्व प्रस्तुत अवधि के अनुरूप है अथवा नहीं। तत्पश्चात् उनको निर्धारित प्रारूप पर ध्यानपूर्वक संकलित किया जाये ताकि पूर्व अवधि तथा वर्तमान अवधि तक कृत कार्यवाही की सुगमता से तुलना की जा सके। नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्यें प्रेषित करने से पूर्व आंकड़ों का स्वयं अपने स्तर से भलीभांति परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित को सूचनार्यें प्रेषित की जायें। अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्यें (आंकड़े) टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को समय से उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल)

(2) पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में- जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम द्वारा लगातार कोयले से संचालित पेठा कारखानों/भट्टीयों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) द्वारा शहरी क्षेत्र में 06 पेठा निर्माण इकाई व 01 औद्योगिक इकाई (चांदी गलाने हेतु) एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील खेरागढ़ में 03 एवं फतेहाबाद में 03 सहित कुल 13 इकाइयों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करायी गयी है। निरीक्षण के समय 04 इकाइयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा रू0 25000-25000 का जुर्माना किया गया है। जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों से उनके द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक कार्य का पूर्ण ब्यौरा शपथ-पत्र में अंकित कराये जाने के उपरान्त ही सील खोली जाती है।

L 



श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय पेठा व्यवसायियों के स्थल अत्यन्त संकरी गलियों में स्थित हैं, जहाँ ग्रीन गैस लि0 द्वारा गैस की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैडर/लकड़ी का प्रयोग न हो। कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/ए0डी0एम0(सिटी)/समस्त एस0डी0एम0,आगरा)

पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रयोग पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं नगर निगम द्वारा सम्बन्धित पेठा व्यवसायी के विरुद्ध जुर्माना/सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज करायी जाये। पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रकरण संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जाँच करायी जाये कि उक्त पेठा व्यवसायी को कोयला किस कोल डिपो से प्राप्त हो रहा है। जी0एस0टी0 विभाग द्वारा भी पेठा व्यवसायी को हो रही कोल की आपूर्ति के सम्बन्ध में बैकग्राउण्ड चैक कराया जाये।

(कार्यवाही-ए0डी0एम0(सिटी)/नगर निगम/एस0एस0पी0/जी0एस0टी0, आगरा)

उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा के द्वारा पेठा व्यवसाय को 'ओ0डी0ओ0पी0' योजना में सम्मिलित कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। गैस के उपयोग के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम एवं ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के नेतृत्व में वांछित प्रक्रिया/कार्यवाही करायी जायेगी। इस प्रकरण में प्रक्रिया एवं उत्पादन विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.), आगरा का भी वांछित सहयोग प्राप्त किया जाये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को आवश्यक पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जारी कराया जाये। उपायुक्त द्वारा अगली बैठक से पूर्व पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत समस्त जनपदों में वर्तमान में प्रचलित गैस की दरों के आंकड़े क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बो0, आगरा)

चूँकि उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त किये जाने के प्रकरण में उ0प्र0 जल निगम के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करा दिया गया है तथा स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रगतिमान है, अतएव उ0प्र0 जल निगम के इस प्रस्तर/बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

(3) ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्ये उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा 48 कोल/कोक व्यापारियों की प्राप्त सूची में वर्णित 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया। 05 फर्म केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, केन्द्रीय विभाग को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के निर्णय से सूचित कर दिया गया है, अभी तक उनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं करायी गयी है। 02 फर्मों को रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। 02 फर्म जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पायी गयी तथा 02 फर्मों के पते अपूर्ण थे। 13 पंजीयन निरस्त किये गये हैं एवं 03 निलम्बित किये गये हैं। शेष 04 मामलों में कार्यवाही जारी है। अग्रेतर, गत बैठक के निर्देशानुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 15 कोल/कोक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 09 फर्म-(1)मै0बजरंग कोल ट्रेडर्स, मोती कटरा पुलिस चौकी खिड़की काले खाँ, आगरा (2)मै0किशोरी लाल कोल डिपो, रूई की मण्डी, शाहगंज, आगरा (3)मै0दिनेश कोल डिपो, 6/176 फाटक सूरजमान, बेलनगंज, आगरा

(4)मै0मित्तल कोल डिपो, 8/144, भैंरो बाजार, आगरा (5)मै0मीरा कोल डिपो, गायत्री बिहार, सिकन्दरा, आगरा (6)मै0पार्वती कोल डिपो, नगला बेहड, मौजा-बेबाती कलों, तहसील फतेहाबाद, आगरा (7)मै0शिवानी कोल डिपो, सैया तहसील खेरागढ़, आगरा (8)मै0मुकेश ट्रेडर्स, सीतानगर नुनिहाई, आगरा (9)मै0सिंघल कोल डिपो जोन्स मिल कम्पाउण्ड यमुना किनारा रोड, आगरा के जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त हैं तथा शेष 06 फर्मों में कोयले का कार्य होता नहीं पाया गया है।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-फिरोजाबाद में 06 कोल डिपोस में से 03 के पंजीयन निरस्त हैं, 01 कोल डिपो पूर्व से बन्द है तथा शेष 02 कोल डिपो के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, जिनके द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित/संचालित ईट भट्टों को जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किये जाने तथा ईट भट्टों के द्वारा पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग न किये जाने हेतु दिनांक 30.05.2022 को नोटिस प्रेषित किया गया है। जिग-जैग तकनीक में परिवर्तन किये जाने के पश्चात ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन हेतु सहमति निर्गत की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-मथुरा में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोई भी ईट भट्टा स्थापित/संचालित नहीं है, अन्य ईट भट्टों को किसी भी परिस्थिति में प्रतिबन्धित ईंधन जैसे-पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग न किये जाने तथा ईट निर्माण में केवल अनुमन्य ईंधन जैसे-कोयला, लकड़ी, तूरी व पी0एन0जी0 का ही प्रयोग किये जाने हेतु समस्त ईट भट्टों को निर्देशित किया जा चुका है तथा दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया जा चुका है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-फिरोजाबाद में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित समस्त 20 ईट भट्टा स्वामी/संचालकों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2022 को पत्र जारी करते हुये निर्देशित किया गया है तथा सम्बन्धित ईट भट्टा स्वामी/संचालकों द्वारा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित ईट भट्टे को अगले सीजन में संचालन हेतु इस कार्यालय के स्तर से अनापत्ति प्रदान नहीं की जायेगी तथा सम्बन्धित ईट भट्टा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर(राज0) द्वारा अवगत कराया गया कि भरतपुर जिले में ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल दो ईट भट्टे स्थापित हैं जिनमें से एक ईट भट्टा मै0अग्रवाल ईट उद्योग निकट ग्राम पीढी, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर जिग-जैग प्रणाली में परिवर्तित हो चुका है तथा मै0रजनी ईट उद्योग निकट ग्राम साबोरा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर जिग-जैग प्रणाली में परिवर्तित नहीं कर पाने के कारण वर्तमान में बन्द पड़ा है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि-

- 1- गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा के 15 कोल/कोक डिपो, जिसमें से 09 कोल/कोक डिपो के पंजीयन निरस्त किये गये हैं तथा शेष 06 फर्मों में से 04 फर्मों के द्वारा अपने व्यवसाय को अन्य कार्य में परिवर्तित कर लिया गया है लेकिन उनके पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग में कोल/कोक डिपो के रूप में वर्तमान में भी पंजीकृत हैं तो उक्त सभी 04 फर्मों के कोल/कोक डिपो के पंजीयन नियमानुसार निरस्त किये जायें। अन्य शेष 02 फर्मों का परीक्षण कर लिया जाये तथा गत बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग,आगरा)

- 2- गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा के 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के जी0एस0टी0/अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा पंजीकरणों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये तथा अगली बैठक में उक्त 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के पंजीकरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग,आगरा)



- 3- जनपद-फिरोजाबाद में स्थित 06 कोल/कोक डिपो में से जिन 02 कोल/कोक डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रारूप पर लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, की जाँच जी0एस0टी0 विभाग द्वारा करायी जाये कि वास्तव में उक्त दोनों कोल/कोक डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है अथवा नहीं।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,फिरोजाबाद)

- 4- जनपद-मथुरा में स्थित कोल/कोक डिपो स्वामी/संचालकों के द्वारा यदि ट्रेडिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तो उनके पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा नियमानुसार निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,मथुरा)

- 5- जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में जिन कोल/कोक डिपो संचालकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, उनका जी0एस0टी0 विभाग द्वारा गहन परीक्षण किया जाये तथा उनका बैकग्राउण्ड भी गहनता से चैक किया जाये।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद)

- 6- जी0एस0टी0/सम्बन्धित विभाग द्वारा भविष्य में बिना टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति के कोल/कोक डिपो के पंजीकरण न किये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

निर्देशित किया गया कि ईट भट्टों में जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तन न होने की अवस्था में तथा ईट भट्टों में पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग पाये जाने पर किसी भी ईट भट्टे को अगले सीजन में संचालन की अनुमति किसी भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत/जिला खान अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज0))

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19), आगरा मेट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि घास लगाने हरित पट्टी बनाये जाने के कार्यों के आंगणन स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, निविदा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होते ही कार्य सम्पादित कराया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र में चिन्हित 04 स्थलों पर रोड साईट ग्रीन बेल्ट का निर्माण कार्य कराया गया है एवं शहर के मुख्य 07 स्थलों पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण कार्य कराया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लेने हेतु 02 बार निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुयी है, अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव नियमित कराया जा रहा है। तहसील रैहना रोड पर पुलिस फायर स्टेशन के पास साईड पटरी पर लम्बाई 198.50 मी0 एवं चौड़ाई 2.90 मी0 के क्षेत्रफल में, तहसील रैहना रोड पर ब्लॉक की दीवार के पास साईट पटरी पर लम्बाई 200 मी0 एवं चौड़ाई 2.85 मी0 क्षेत्रफल में तथा तहसील रैहना पटरी पर लम्बाई 350 मी0 एवं चौड़ाई 1.60 मी0 क्षेत्रफल में घास लगाने का कार्य किया गया है।

अधीक्षण अभियंता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 05 स्थलों यथा-तहसील से वेटरनरी कॉलेज के दोनों ओर (45 मी0 चौड़ा मार्ग), छटीकरा से प्रेम मन्दिर मार्ग के दोनों ओर (30 मी0 चौड़ा मार्ग), रुक्मणी विहार रोडरी से छटीकरा मार्ग के दोनों ओर (30 मी0 चौड़ा मार्ग), एस0एस0पी0 निवास से यौद्धा चौक तक 800 मी0 के स्ट्रेच में घास लगवायी गयी है तथा टी0एफ0सी0 से मण्डी तक 550 मी0 के स्ट्रेच घास लगाये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है।



अधिकासी अभियन्ता, नि०ख०-1, (ता०ट्रि०), लो०नि०वि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा मार्गों के किनारे पर्याप्त कच्चा स्थान न होने के कारण घास लगाया जाना सम्भव नहीं है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इनर रिंग रोड की लगातार सफाई करायी जा रही है, जिससे कि सड़क पर डस्ट इकट्ठी न हो एवं धूल के कण हवा में न उड़े। इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर ग्रीन वर्ज के लगभग 8000 वर्गमी० क्षेत्रफल में लगभग 24000 पौधों को भी प्रदूषण को कम करने के लिये मीया बाकी पद्धति से रोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल वर्ज एवं ढलान पर लगभग 8000 पौधे एवं श्रव्स का रोपण किया गया है। इनर रिंग रोड के स्लोप पर टर्फिंग का कार्य डस्ट रोकने के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा इनर रिंग रोड के सेन्ट्रल वर्ज में पौधारोपण का कार्य किया गया है, जिससे कि धूल के कण सेन्ट्रल वर्ज से हवा में न उड़े। उपरोक्त का अनुरक्षण लगातार कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का निरीक्षण कार्यालय द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जा रहा है तथा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं पाये जाने पर उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि० पर रू० 29.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। उ०प्र० जल निगम पर अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 37.50 लाख उ०प्र० जल निगम के द्वारा अभी तक जमा नहीं करायी गयी है। किसी भी विभाग/संस्था आदि पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार अधिरोपित की जाती है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से प्राप्त कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दी जाती है तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध रहती है, जिसको व्यय करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) बनायी गयी है। उक्त एस०ओ०पी० के प्राविधानानुसार धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाता है, जिस पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग को वांछित धनराशि अवमुक्त की जाती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को व्यय करने हेतु पॉवर डेलीगेट मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्तर से प्रदान की जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि एन०एच०ए०आई० के द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नगर निगम, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद तथा विकास प्राधिकरणों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत रिक्त स्थलों पर घास लगवायी जाये/हरित पट्टिका बनाई जाये क्योंकि वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम है। साथ ही अपने क्षेत्रों में स्थित मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया/हटवाया जाये। कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम/विकास प्राधिकरण, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद)

एन०एच०ए०आई० तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया जाये जिसकी फोटोयुक्त रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये। एन०एच०ए०आई० मथुरा द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें, जिनका अनुपालन न पाये जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा द्वारा एच०एच०ए०आई० को नोटिस प्रेषित करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर कहीं भी धूल उड़ती हुयी पाये जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद के द्वारा प्रकरण तत्काल जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाये।

(कार्यवाही-एन०एच०ए०आई०/लो०नि०वि०/उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद)

परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, आगरा-इटावा खण्ड को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०ए०आई० के मार्गों पर साफ-सफाई/रोड डस्ट हटाये जाने/धूल को उड़ने से रोकने, आदि के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु एन०एच०ए०आई० का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा

↓

msk

↓

↓

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की भविष्यगामी बैठकों में सभी खण्डों की सुसंगत सूचनाओं सहित स्वयं प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाही-एन0एच0ए0आई0, आगरा-इटावा खण्ड, आगरा)

उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0 लि0 के द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए नियमित अन्तराल पर जल का पर्याप्त छिड़काव तथा अन्य यथावश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जायें। शीतकाल ऋतु के आगमन से पूर्व उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0 लि0 द्वारा अनावश्यक विभिन्न स्थलों पर एकत्रित निर्माण कार्य सम्बन्धी सामग्री को साफ कराया जाये तथा मेट्रो डिपो, कास्टिंग यार्ड, आर0एम0सी0 प्लाण्ट्स एवं भूमिगत मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थलों पर सी0एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा निरन्तर आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया जाये तथा अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0लि0/अपर जिलाधिकारी (नगर)/उ0प्र0प्र0नि0बो0,आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फतेहाबाद रोड पर इनर रिंग रोड से उतरने पर होटल रमाडा के पास 100 मी0 दूरी तक धूल को उड़ने से रोकने हेतु घास लगवायी जाये/हरित पट्टिका बनाई जाये। 100 मी0 के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के द्वारा मार्ग के दोनों ओर घास लगवायी जाये। क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उक्त स्थलों का निरीक्षण किया जाये। यदि उपरोक्त कार्य उद्यान विभाग द्वारा कराया जा रहा है तो ऐसी दशा में जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा उद्योग विभाग से उपरोक्त कार्य शीघ्रतिशीघ्र कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/आ0वि0प्र0/उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (06.06.2018)

(1) यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्ट्स एजेन्सियों की शिपिंग के सम्बन्ध में-जी0एस0टी0 विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर जी0एस0टी0 विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को नये रजिस्ट्रेशन नहीं दिये जा रहे हैं। रू0 20 लाख से कम टर्नओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों की जाँच हेतु सम्बन्धित खण्डाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मै0टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित किया जा चुका है तथा यमुना किनारा मार्ग से मै0टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी का व्यापार बन्द किया जा चुका है। मै0सरदार टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी के स्वामी द्वारा बताया गया है कि अभी आगरा विकास प्राधिकरण से कुछ मुद्दों पर सहमति स्थापित न होने के कारण विस्थापन में दिक्कत आ रही है। सहमति बनते ही शीघ्र अतिशीघ्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित कर दिया जायेगा। मै0क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित किया जा चुका है तथा यमुना किनारा मार्ग से उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी का व्यापार बन्द किया जा चुका है। यमुना किनारा रोड पर स्थापित आर0टी0ओ0 से 74 व्यवसायियों की सूची प्राप्त हुयी है, जिसमें 09 बड़े डीलर हैं। 37 व्यवसायियों की जाँच की गयी है तथा अन्य शेष व्यवसायियों द्वारा अपने टर्नओवर से अवगत नहीं कराया गया है, मौके पर जाँच के दौरान भी व्यवसायियों के टर्नओवर ज्ञात नहीं हो सके हैं। 10 व्यवसायियों के टर्नओवर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जी0एस0टी0 विभाग द्वारा आयकर विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर में स्थायी कार्यों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा तैयार की गयी रू0 7475.72 लाख की योजना पर स्वीकृति के उपरान्त नगर निगम द्वारा निर्माण/विकास कार्य कराये जाने के सापेक्ष अनुमानित लागत रू0 507.18 लाख के 05 महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित किया गया है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा जीएसटी विभाग में पंजीकृत 348 ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की प्रेषित की गयी सूची के अनुसार 19 व्यवसायी पूर्व से ही कॉमन कैरियर लाइसेंसधारक थे तथा 15 व्यवसायी अन्य जनपद के थे। इसके अतिरिक्त 74 व्यवसायियों का कारोबार यमुना किनारा मार्ग पर स्थित है, जिसमें से कुछ व्यवसायियों द्वारा बताया गया है कि उनके कार्यालय यमुना किनारा मार्ग पर नहीं है। प्रवर्तन के अधिकारियों द्वारा पुनः की गयी जाँच एवं गूगल मैप के अनुसार 33 व्यवसायी यमुना किनारा मार्ग के पते पर पाये गये हैं। अब तक कुल 19 ट्रांसपोर्टर्स का पंजीकरण जी0एस0टी0 विभाग में कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा द्वारा आगरा शहर क्षेत्र में यमुना



किनारा मार्ग पर प्रातः 05.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक नो एन्ट्री का पालन कराया जा रहा है। यमुना किनारा मार्ग पर यातायात पुलिसकर्मियों, इण्टरसेप्टर वाहन एवं क्रेन की ड्यूटी लगाकर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है तथा किसी भी वाहन को यमुना किनारा मार्ग पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। यमुना किनारा मार्ग पर अवैध रूप से खड़े/पार्क वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कुल 56 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं ₹0 4,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है तथा क्रेन द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर सड़क किनारे खड़े/पार्क वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल ₹0 45,800/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2031 के अन्तर्गत नये ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। थाना सिकन्दरा स्थित वर्तमान ट्रान्सपोर्ट नगर योजना पूर्व योजना पर आधारित है, जिसमें यमुना किनारा मार्ग स्थित समस्त ट्रान्सपोर्ट्स को स्थापित करने हेतु पर्याप्त भूमि/स्थान नहीं है। महायोजना-2031 के अन्तर्गत प्रस्तावित नये ट्रान्सपोर्ट नगर में यमुना किनारे मार्ग स्थित समस्त ट्रान्सपोर्ट्स को स्थानान्तरित कराया जाना उचित होगा।

आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत यमुना किनारा क्षेत्र में 189 वाहनों के चालान की कार्यवाही की गयी है। यमुना किनारा मार्ग पर स्थित कोई भी ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी आर0टी0ओ0 में पंजीकृत नहीं है। शहर के अन्य क्षेत्रों के केवल 11 ट्रान्सपोर्ट्स पंजीकृत हैं। एक ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी मै0सरदार ट्रान्सपोर्ट कं0 का प्रकरण आगरा विकास प्राधिकरण में विवादित चल रहा है।

आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार रिक्त भूखण्डों के आवंटन केवल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के लिये ऑनलाईन बिड आमंत्रित की गयी थी, जिसमें से 09 भूखण्डों को ई-ऑक्शन/ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय जा चुका है। रिक्त 42 हेतु बिड आमंत्रित की जा रही है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थित किसी भी ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा न किये जायें। जिन ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियों को ट्रान्सपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित हैं लेकिन वह वर्तमान में भी यमुना किनारा मार्ग से व्यापार कर रहे हैं, अपने व्यापार ट्रान्सपोर्ट नगर में शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गत बैठक के निर्देशानुसार ₹0 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज की जी0एस0टी0 विभाग द्वारा जाँच की जाये। मै0सरदार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के विवादित प्रकरण को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार शीघ्र निस्तारित किया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा/आ0वि0प्रा0,आगरा)

नगर निगम द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों में से चिन्हित किये गये ₹0 507.18 लाख धनराशि के महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा जितनी ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियों के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग में हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सम्भागीय परिवहन विभाग में भी नियमानुसार सुनिश्चित कराये जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/नगर निगम,आगरा)

पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं आर0टी0ओ0 द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमित रूप से नियमानुसार प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-एस0पी0(ट्रैफिक)/आर0टी0ओ0, आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर रिक्त भूखण्डों को नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र आवंटित किया जाये तथा जिन ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के द्वारा आवंटित भूखण्डों पर अपने व्यवसाय स्थानान्तरित नहीं किये जा रहे हैं, उन ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के आवंटन नियमानुसार निरस्त कर नियमानुसार आवंटित किये जायें। इसके अतिरिक्त आवंटन की शर्तों के विपरीत ट्रान्सपोर्ट नगर में जो ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज अन्य कार्य रहे हैं, उनके आवंटन भी नियमानुसार निरस्त किये जायें। जिलाधिकारी के नेतृत्व में शिफ्टिंग एवं अन्य समस्त वांछित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/आ0वि0प्रा0, आगरा)

d *msh*  

रामलीला ग्राउण्ड के सामने पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में-आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.06.2022 को सम्पन्न पथकर सलाहकार समिति की 32वीं बैठक के निर्णयानुक्रम में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं तथा एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त स्थल पर टाइल्स लगाये जाने का कार्य सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभि0,आ0वि0प्रा0,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 4(10.06.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन स्थिति का उल्लेख करते हुये वांछनीय मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अनुस्मारक-2 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में शासन स्तर से प्रकरण में मार्ग-दर्शन प्रतीक्षित/अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि गत बैठक के निर्णयानुसार प्रकरण में शासन स्तर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने पर बैठक में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0प्राधिकरण, आगरा)

पीएम-10 एवं पीएम-2.5 को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न उपाय किये जायें-

4-समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना-आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैंडलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आगरा इनर रिंग रोड (प्रथम चरण) की सफाई नियमित रूप से मैनुअली करायी जा रही है। आगरा इनर रिंग रोड (द्वितीय चरण) के कन्स्ट्रक्शन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सड़क पर ट्रैफिक का आवागमन होने के कारण जो डस्ट इकट्ठी होती है, उसकी लगातार सफाई करायी जा रही है। इस प्रकार द्वितीय चरण में ट्रैफिक के चलने से डस्ट वातावरण में नहीं फैलती है। सड़क के शोल्डर के कच्चे भाग पर लगातार पानी का छिड़काव कराने से सड़क के शोल्डर का भाग भी पक्का हो गया है, इसमें वह मिट्टी भी तेज हवा से वातावरण में नहीं फैलती है। फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन फलाई ओवर में समस्त 06 पियर (कॉलम) का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः फलाई ओवर के कार्य में मिट्टी से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। फलाई ओवर के कार्य के स्थल को टीन की बैरीकैडिंग से कवर कर दिया गया है। इसके साथ ही फलाई ओवर के आस-पास की भूमि, जिस पर कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है परन्तु इस पर भी प्रत्येक दिन तीन बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि धूल के कण वातावरण में न उड़े।

अधिसासी अभियन्ता, नि0ख0-1 (ता0ट्रि0), लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के तहत होटल रमाडा के पास किमी0-11 तक मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए निर्माणाधीन स्थल पर पर्दा लगाकर एवं डम्पर्स द्वारा सामग्री को ढंककर ढुलान कराया जाता है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में WMM (Wet Mix Macadam) तथा WMM (Stabilized) का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्लाण्ट से मिक्स करके साइट पर लाया जाता है, जिससे इस कार्य में धूल उड़ने की सम्भावना नगण्य रहती है। धूल की रोकथाम हेतु टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जाता है तथा मार्गों के किनारे की धूल को बेलदारों द्वारा साफ किया जाता है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों के दौरान खोदी गयी मिट्टी, निर्माण सामग्री की शिफ्टिंग के दौरान ग्रीन नेट का प्रयोग करते हुये काटी गयी सड़कों पर नियमित जल छिड़काव आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी प्रमुख मार्गों बोदला-मारुति स्टेट मार्ग, बोदला-लोहामण्डी मार्ग, गद्दी भदौरिया मार्ग आदि का पुनर्स्थापन पूर्ण हो चुका है।

l nsh

उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में विभिन्न स्तरों पर धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग, निर्माण सामग्री को ढंककर रखना, ठोस अपशिष्ट एवं सी० एण्ड डी० वेस्ट का उचित निस्तारण, निर्माण क्षेत्र की लोहे की चादरों से बैरिकेटिंग की गयी है एवं कास्टिंग यार्ड में सैण्ड के ढेरों पर स्प्रेक्लेर्स द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वायु मण्डल में धूल के कणों/वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं में आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा कार्यस्थलों पर पानी का निरन्तर छिड़काव किया जा रहा है, स्थलों पर बैरिकेटिंग की जा रही है, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जा रहा है, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को स्थल से हटवाया जा रहा है तथा भवन निर्माण सामग्री को ढंककर रखा जा रहा है।

नगर निगम, भरतपुर (राज०) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्यतः समस्त निर्माणकर्ताओं को निर्माण सामग्री ढंककर परिवहन करने हेतु निर्देशित कर दिया है तथा सड़क किनारे निर्माण सामग्री (मलवा) आदि हटाने हेतु पाबन्द किया गया एवं कुल रू० 37,800/- का जुर्माना वसूल किया गया तथा समय-समय पर निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत 50 टन क्षमता के सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा उक्त प्लाण्ट की स्थापना हेतु रू० 2.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, सी० एण्ड डी० वेस्ट प्लाण्ट हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।


अधीक्षण अभियंता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निविदाओं तथा मानचित्र स्वीकृति के समय शर्त तथा औपचारिकता कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट की शर्तों एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु सतत निरीक्षण करते हुये अनुपालन कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा ऋतु के कारण विगत दो माह में कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की जा सकी है। एन०एच०ए०आई० से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,84,37,500.00 में से आगरा नगर निगम के प्रस्तावानुसार जनपद आगरा में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण/मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.06.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रगतिमान है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को नोटिस/पत्र प्रेषित किये गये हैं।

श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-भरतपुर (राज०) के ब्याना क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर यूनिट्स द्वारा एयर एक्ट का पालन किये जाने के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र की वायु गुणता अनुश्रवण रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०) से मंगायी जाये।

निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, मेट्रो रेल कॉर्पो०, स्मार्ट सिटी लि० एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। अनुपालन आख्या फोटोग्राफ सहित प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-लो०नि०वि०/जल निगम/उ०प्र०मे०रे०कॉ०लि०/स्मार्ट सिटी लि०/आ०वि०प्रा०/म०वृ०वि०प्रा०/फि०शि०वि०प्रा०)



एन०एच०ए०आई० द्वारा जमा करायी गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,84,37,500/- की धनराशि से विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय एवं उपयुक्त उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु आगरा नगर निगम द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये विस्तृत प्रस्ताव, जिसे उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.07.2022 को सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा पत्र प्रेषित कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ०सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर भी उनके द्वारा मंत्रालय स्तर से आवश्यक पत्राचार कराया जाये।

(कार्यवाही-डॉ०सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ द्वारा बोर्ड मुख्यालय स्तर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जमा धनराशि में से क्षेत्र विशेष में प्रदूषण उपशमन पर वहन की जाने वाली धनराशि की उपलब्धता/आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने हेतु मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुरोध किया जाये, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा बोर्ड मुख्यालय से समन्वय स्थापित किया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ०सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि वह मंत्रालय स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही-मुख्य पर्या०अधि०(वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ/डॉ०सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित अन्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किसी भी विभाग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो खेदजनक है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ एवं भरतपुर (राज०) के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत अपने जनपदों में कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा अनुपालन न पाये जाने की अवस्था में सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर निगम से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही-नगरायुक्त, नगर निगम/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, भरतपुर (राज०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के सम्बन्ध में अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तथा अन्य विभागों पर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के स्तर पर लम्बित समस्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ द्वारा शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही की जाये।


(कार्यवाही-मु०प०अ०, उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ)

मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि तत्काल जमा करायी जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, उ०प्र०जल निगम, आगरा)

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०) के द्वारा जनपद-भरतपुर (राज०) के ब्याना क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर यूनिट्स की परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित आगामी बैठक से पूर्व टी०टी०जैड० प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०)



आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा एयर क्वालिटी असेसमेन्ट एवं सोर्स अपोर्शमेन्ट स्टडी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पोईट्स में रोड डस्ट को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में ट्रक लोडिंग गाइडलाइन्स का कार्यान्वयन भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा कुबेरपुर स्थित मालगोदाम का निरीक्षण कर प्रेषित किये गये नोटिस के क्रम में रेलवे द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त न होने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

एजेण्डा बिन्दु सं0-3 (29.02.2020)

दिनांक 07.01.2015 को आहूत 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में पारित निर्णयों पर विचार-विमर्श किए जाने के सम्बन्ध में-गत बैठक के निर्णयानुसार जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये, निर्देशित किया गया कि गत बैठक के निर्णयानुपालन में विषयगत प्रकरण में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या आगामी बैठक से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद/उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद, आगरा)

एजेण्डा बिन्दु सं0-5 (29.02.2020)

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन विभिन्न आई0ए0 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित/कृत कार्यवाही की समीक्षा के सम्बन्ध में-प्रश्नगत याचिका अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न सरकारी/निजी समूह/व्यक्ति/संस्था के द्वारा दायर की गई आई0ए0 पर विभागों द्वारा कृत अद्यतन कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये-

क्र0 सं0	आई0ए0 सं0	सम्बन्धित विभाग	आई0ए0 की विषय-वस्तु	निर्देश
8.	134453/2019, 134454/2019, 3186/2020 (Filed by Agra Development Foundation)	(DFO Agra 7839435137)	सरकारी भूमि पर वृक्षों के पतन हेतु SOP निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये कि एस0ओ0पी0 में आवश्यक संशोधन कराते हुये शासन से अनुमोदन प्राप्तोपरान्त प्रमागीय निदेशक, सा0वा0प्र0, आगरा द्वारा नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्रतिशीघ्र दाखिल कराते प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।
11	4115, 4118 & 4119/2020 (Filed by Agra Development Foundation)	S.S.P., AGRA	आगरा में सुगम यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में।	सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए0ओ0आर0 से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र दाखिल कराया जाये।
13	3419, 3420 & 3424/2020 (Filed by Agra Development Foundation)	(Dy. Director, Tourism, Agra Mob.No. 9415115510)	वृज विकास तीर्थ परिषद् की भौति आगरा में स्पेशल पर्पज कीकल (एस.पी.वी.) बनाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए0ओ0आर0 से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र दाखिल कराया जाये।
14	20616 & 20617/2020 (Filed by Arun)	(Dy. Commr., DIC, FZB. Shri A.K.)	ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में नयी इकाइयों की स्थापना एवं पूर्व	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत

क्र० सं०	आई०ए० सं०	सम्बन्धित विभाग	आई०ए० की विषय-वस्तु	निर्देश
	Gupta)	Pandey, Mob. No. 9411923038) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia, Mob. No. 7839891925)	स्थापित/संचालित इकाइयों के विस्तारीकरण हेतु अनुमति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।	आई०ए० की प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर कार्यालय के पत्रांक-2605 दिनांक 07.12.2021 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, जो शासन के लीगल सैल में लम्बित है। गत बैठक के निर्देशानुपालन में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को मण्डलायुक्त महोदय की ओर से पत्रांक-798 दिनांक 05.06.2022 भिजवाया गया है। निर्देशित किया गया कि उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा की ओर से शासन को पुनः अनुस्मारक-पत्र तत्काल प्रेषित कराया जाये एवं शासन में स्वयं जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाये, जिससे कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी आई०ए०/प्रतिशपथ-पत्र/जबाव, आदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के बिना संज्ञान में लाये, मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल न किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/संस्था)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (15.12.2020)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी ताजमहल केन्द्रित स्टडी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान एवं इसकी प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं के अनुपालन हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, जिसकी दिनांक 25.07.2022 को सम्पन्न जिला पर्यावरण समिति की बैठक में समीक्षा की गयी है। उक्त समीक्षा बैठक में भी समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को एक्शन प्लान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी सतत समीक्षा भी की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर कार्यवाही कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को पत्र दिनांक 26.04.2022 प्रेषित किया गया है एवं दिनांक 22.06.2022 को अनुस्मारक-पत्र भी प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति की बैठक में अनुश्रवण किया जायेगा।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने हेतु रू० 3,43,53,615.47 के कार्य प्रगति पर हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को रखने के लिये सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने का वांछनीय प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कॉर्पो०लि०, सिकंदरा निर्माण इकाई-4, आगरा को निर्देशित कर दिया गया है। यातायात पुलिस आगरा द्वारा जब्त किये गये वाहनों की नीलामी शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में यातायात पुलिस लाइन में सीज/जब्त वाहनों की डी.सी.आर.बी. से आख्या प्राप्त कर नोटिस तामील कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

[Handwritten signatures and initials]

आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय सीमा पूर्ण निरुद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के न्यायालय में प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिसमें से 51 वाहनों के नोटिस वाहन स्वामियों को तामील कराये गये हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा को नीलामी हेतु अनुरोध किया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि 700 सरकारी वाहनों के सापेक्ष 350 वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त हुये हैं लेकिन शेष वाहनों के पी०यू०सी० सम्बन्धित विभागों के द्वारा अभी तक नहीं कराये गये हैं, जिनमें मुख्यतः विभाग आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा नगर निगम है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की वाहन चैकिंग ड्यूटी शहर क्षेत्र के प्रत्येक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगाकर यातायात पुलिस के समस्त चालानकर्ता अधिकारीगणों द्वारा शहर क्षेत्र में बिना पी०यू०सी० सर्टिफिकेट के संचालित वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कुल 971 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं रू० 97,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से बिना पी०यू०सी० सर्टिफिकेट के संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमित कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम के नये भवन/हॉल पर निर्मित आठ चिता स्थलों पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम/वेट स्क्रबर प्रणाली की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 100 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय रू० 315 लाख धनराशि की आवश्यकता थी। तदनुसार पथकर सलाहकार समिति की 32वीं बैठक दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा उक्त को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कंट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुपालन समस्त सम्बन्धित विभागों से कराया जाये एवं कृत अनुपालनीय कार्यवाही की समीक्षा जिलाधिकारी, आगरा द्वारा 'जिला पर्यावरण समिति' की बैठकों में अनिवार्य रूप से की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्र० नि० बो०, आगरा/समस्त सम्बन्धित विभाग)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरुद्ध वाहनों को रखने के लिए सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वांछनीय स्वीकृति शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जायें ताकि चिन्हित स्थल पर बाउण्ड्रीवाल निर्मित हो सके।

(कार्यवाही-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा)

आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय-सीमा पूर्ण निरुद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के न्यायालय में प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिसमें से 51 वाहनों के नोटिस वाहन स्वामियों को तामील कराये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा को नीलामी हेतु अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा उक्त प्रकरण में मा०न्यायालय में संयुक्त निदेशक, अभियोजन के माध्यम से वांछित विधिक प्रक्रिया शीघ्रतिशीघ्र करायी जाये, तदुपरान्त आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/आर०टी०ओ०, आगरा)

जिन पी०यू०सी० सेन्टर्स द्वारा वाहनों को पी०यू०सी० सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं, ऐसे सेन्टर्स को आर०टी०ओ०, आगरा फील्ड में वाहनों को क्रॉस चैक जांच कर करायी जाये तथा वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित पी०यू०सी० सेन्टर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-आर०टी०ओ०, आगरा)

आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा शहर में स्थापित किये गये कैमरों के माध्यम से 15 वर्ष पुराने संचालित वाहनों, ऑटोलोडर्स, पी०यू०सी० सर्टिफिकेट रहित वाहनों को चिन्हित किया जाये, जिसके सम्बन्ध में एक निर्धारित प्रारूप बनाया जाये तथा प्रत्येक माह चिन्हित किये गये वाहनों की सूची (निर्धारित प्रारूप पर) आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठकों में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आगरा स्मार्ट सिटी लि०/आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण तथा आगरा नगर निगम एवं अन्य समस्त सरकारी विभागों में संचालित ऐसे राजकीय वाहन, जिनके पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिये गये हैं, ऐसे समस्त राजकीय वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट सम्बन्धित विभागों के द्वारा अगले 07 दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जायें तथा आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आ०वि०प्रा०/नगर निगम/आर०टी०ओ०/समस्त सम्बन्धित विभाग, आगरा)

ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर स्थित चार प्लेटफार्म पर स्थापित एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को मोक्षधाम स्थित नये भवन के प्लेटफार्म पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आ रहे व्यय एवं व्यावहारिक कठिनाई के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी(नगर) की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, आ०वि०प्रा०, प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०नि०बो०, आगरा की समिति का गठन किया जाता है, उक्त समिति द्वारा शवदहन प्रक्रिया में लकड़ी के स्थान पर गोकाष्ठ का उपयोग किये जाने को प्रमोट किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके संयोजक प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा होंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ताजगंज स्थित शमशानघाट पर लकड़ी के स्थान पर गाय के गोबर से निर्मित गोकाष्ठ का प्रयोग किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रि०या०(सि०)सं०-13381/1984 में पारित आदेशों के क्रम में भी परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-ए०डी०एम०(सिटी)/प्रभारी,के०प्र०नि०बो०,आगरा)

मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुक्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड डस्ट का सर्वे नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एस०ओ०पी० के अनुसार रोड डस्ट का सर्वे अगली बैठक से पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, लो०नि०वि०, आगरा)

टी०टी०जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा को आमंत्रित किया जाये। उपनिदेशक, उद्यान, आगरा द्वारा आगामी बैठक में स्वयं प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यवाही-उपनिदेशक, उद्यान, आगरा)

मण्डल रेल प्रबन्धक, आगरा की ओर से बैठक में कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में मण्डल रेल प्रबन्धक, आगरा को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

2-रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 एवं 11.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्ष की अवधि में (दिनांक 05.04.2016 से 29.01.2021 तक) वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद से गत बैठक में पारित निर्णयानुसार वांछित सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, जिनके अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद-एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा०सर्वोच्च न्यायालय के कोई आदेश पारित न होने के कारण कोई अनुपालन आख्या अपेक्षित नहीं है।

h
msb
e

बैठक में जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों ने पुनः अवगत कराया कि आदेशों का पालन किया गया है। निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत रिट याचिका के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित विगत 05 वर्ष की अवधि में पारित आदेशों एवं भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशों का शर्तवार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सीधे उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस,भरतपुर(राज0))

4-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित वाहनों/पुराने वाहनों, जुगाड़ वाहनों के पीयूसी, डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध, पब्लिक/कॉमर्शियल वाहनों हेतु सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में-गत बैठक के निर्देशानुक्रम में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन0ओ0सी0 लिये जाने के उपरान्त 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित न हो, के सम्बन्ध में आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था को संज्ञान में लिया गया। आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद फिरोजाबाद में 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन यानों जिनका पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है तथा पंजीयन चिन्ह की वैधता को 6 माह के लिये निलम्बित करने तथा 6 माह तक निलम्बित रहने की दशा में निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुये ऐसे 28056 वाहनों, जिनकी सीरीज-UP83A, UP83B, UP83C, UP83D, UP83E, UP83F, UP83H, UP83I है, को निलम्बित करते हुये ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालन/पंजीयन नवीनीकरण पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं सार्वजनिक विज्ञापित जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया जा चुका है। उक्त के साथ-साथ विद्यालय यानों पर भी कार्यवाही करते हुये 15 वर्ष पुराने 143 डीजल चालित स्कूल वाहनों को चिन्हित कर पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही हेतु नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं एवं विगत 03 माह में कुल 62 वाहनों का पंजीयन चिन्ह भी निरस्त किया जा चुका है। प्रवर्तन कार्यों में तीव्रता लाने हेतु समस्त 15 वर्ष पुराने 28056 वाहनों की सूची जनपद में नवीन स्थापित आईटीएमएस को प्रेषित कर दी गयी है एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद एवं यातायात विभाग को भी समस्त सूचियाँ उपलब्ध करा दी गयी हैं। जनपद-फिरोजाबाद में ऐसे वाहन, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं हैं, के डाटा फीड किये गये हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

ए0आर0टी0ओ0, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक प्रदूषण वाले कुल 271 वाहनों का चालान करते हुये जुर्माना वसूला गया है तथा 15 वर्ष पुराने 13 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करते हुये बन्द कराया गया है, इसी प्रकार 46 ई-रिक्शा का चालान किया गया है, जिसमें से 14 बन्द कराये गये हैं, 38 लोडर/टैम्पो (डीजल) के चालान किया गया है, जिसमें से 10 बन्द कराये गये हैं। दिनांक 28.04.2022 को 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी 152 स्कूली बसों का पंजीयन वाहन पोर्टल पर 06 माह की अवधि के लिए निलम्बित किया गया है, उक्त अवधि के उपरान्त उक्त स्कूली बसों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। 15 वर्ष पुराने 1315 निजी वाहनों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज0) में 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के किसी भी जनपद में संचालित न हों। आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्कूल बस/अन्य प्रकार के व्यावसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से ही संचालित हों तथा कोई भी अनफिट वाहन संचालित न हों।

(कार्यवाही-आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0, आगरा, मथुरा,फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज0))

जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद का यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व होगा कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-मथुरा एवं फिरोजाबाद में 15 वर्ष पुराने वाहनों की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उनके पंजीयन निरस्त हो गये हैं अथवा नहीं। ऐसे वाहनों की नियमित जाँच की जाये तथा फील्ड में भी रैण्डमली जाँच करायी जाये ताकि 15 वर्ष पुराने वाहन पकड़ में आ सकें। जनपद-आगरा में निरस्त किये गये 15 वर्ष पुराने वाहनों का विवरण आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा स्मार्ट सिटी ऑफिस में अपलोड कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, मथुरा, फिरोजाबाद/आर0टी0ओ0,आगरा/ए0आर0टी0ओ0, मथुरा, फिरोजाबाद)

h

msk

चूंकि आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन0ओ0सी0 लिये जाने के उपरान्त 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जो उपयुक्त प्रतीत होती है, अतः 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन/री-रजिस्ट्रेशन पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाते हुये यह निर्देश दिये गये कि आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर अन्यत्र संचालन/री-रजिस्ट्रेशन हेतु एन0ओ0सी0 जारी की जायें लेकिन विक्रेता से ऐसे वाहनों को विक्रय किये जाने का साक्ष्य प्राप्त किया जाये। वाहन स्वामी यदि दूसरी जगह चला गया है तो इसकी जांच की जाये कि वह किस जगह गया है। वाहन के विरुद्ध चालान लम्बित होने की दशा में चालान जमा कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये। टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठकों में जारी की गई एन0ओ0सी0 का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज0))

श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा एवं अन्य जनपदों, जहाँ ग्रीन गैस लि0 द्वारा वाहनों हेतु पर्याप्त मात्रा में सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित/संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं, के सम्बन्ध में ग्रीन गैस लि0 द्वारा बनायी गयी विस्तृत कार्य-योजना (क्षेत्रवार माँग व खपत सहित) की एक प्रति अगली बैठक से पूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण एवं श्री रमन को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में जिन स्थलों पर सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित/संचालित नहीं हैं, उन स्थलों पर सम्बन्धित आर0टी0ओ0 एवं ए0आर0टी0ओ0 द्वारा प्राथमिकता पर सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित/संचालित कराये जाने हेतु ऑयल कम्पनियों को पत्र प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही-आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज0))

6-रिट याचिका (सि0) सं0-13381/1984-एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में प्रथम चरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक के आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं हेतु सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नीरी द्वारा मांगी गयी सूचनायें यथा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों की सूची, विकास प्राधिकरणों द्वारा महायोजनायें एवं आगरा व मथुरा का सिटी डवलपमेन्ट प्लान, जनपद-भरतपुर का सब-रिजनल प्लान, यूपीसीडा/डी0आई0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की सूचनायें मानचित्रों सहित समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा नीरी को समय-समय पर प्रेषित कर दी गयी हैं। जनपद-फिरोजाबाद, एटा व हाथरस की प्राप्त महायोजनायें भी नीरी को प्रेषित कर दी गयी हैं लेकिन इन जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान उपलब्ध/बने हैं अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है।

बैठक में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की प्रतिनिधि डॉ0सरस्वती द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में नीरी के द्वारा वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक के आवश्यक/महत्वपूर्ण उद्योग/परियोजनाओं के लिए सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है लेकिन नीरी के द्वारा मंत्रालय को अभी तक यह अवगत नहीं कराया गया है कि सम्बन्धित विभागों से अब तक उन्हें कौन-कौन सी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं एवं कौन-कौन सी सूचनायें अभी तक अपेक्षित हैं।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति/अनुज्ञा के समय प्रोजेक्ट प्रपोजेन्ट/आवेदक से प्राप्त किये गये शपथ-पत्र के क्रम में परीक्षण करने पर कहीं भी वृक्षों का काटा जाना नहीं पाया गया है। यदि प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष विद्यमान हैं तो उसको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। लेकिन कतिपय विभागों के द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा/अनुमति के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण नहीं दिया जा रहा है।

h

msb

2

e



चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस द्वारा यह अवगत कराया जाये कि उनके जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान उपलब्ध/बने हैं अथवा नहीं। यदि उक्त जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान नहीं बने हैं तो इसकी सूचना तत्काल टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को ई-मेल ttzpmu2@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा)

बैठक में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ0सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण 31 उद्योग/परियोजना/गतिविधियों की सेक्टरियल गाइडलाइन्स टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर से निदेशक, नीरी, नागपुर से समन्वय स्थापित किया जाये।

(कार्यवाही-डॉ0सरस्वती, साइन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली)

औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित की गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के क्रम में सम्बन्धित विभागों के द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान किये जाने से पूर्व प्रोजेक्ट प्रोपोजेन्ट से वांछित शपथ-पत्र, स्थल के फोटोग्राफ व की-प्लान की वांछित सूचनायें सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग को उपलब्ध करायी जायें। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपूर्ण सूचनायें अथवा सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक के द्वारा सम्बन्धित विभाग को जिलाधिकारी की ओर से पत्र प्रेषित कराया जाये तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को भी सूचित किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/समस्त प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0)

मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के क्रम में दिनांक 16.12.2021 को सम्पन्न टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 55वीं बैठक में औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी प्रक्रिया एवं मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के आलोक में विषयगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (16.12.2021)-

गत बैठक में पारित निर्णयानुक्रम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 16.12.2021 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया-

- (1) आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण होना-सिंचाई विभाग, आगरा के अनुसार ताजमहल के 1.5 किमी0 डाउनस्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के प्रस्तावित परियोजना स्थल यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम नगला पैमा में 25 पेड़ एवं बांये किनारे पर ग्राम-गढ़ी चोंदनी में 263 पेड़, कुल 288 पेड़ों को पातन प्रस्तावित है, जिसके लिए मा0सर्वोच्च न्यायालय से वांछित अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
- (2) आगरा में रिंग रोड का निर्माण होना-आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण जिसकी लम्बाई 7.13 किमी0 है, का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जोड़ने हेतु फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन फलाई ओवर का निर्माण लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसको कि 31 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने की योजना है। आगरा इनर रिंग रोड तृतीय चरण जो कि एन.एच.ए.आई. द्वारा निर्माण किये जाने की योजना है, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पत्राचार एन.एच.ए.आई. से किया जा रहा है।
- (3) ताज ट्रेपेजियम जोन के सभी जिलों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति किया जाना-अधिशाली अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 23 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है, आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे तथा तहसीलों में 21 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है।

l m e

श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि ग्रीन गैस लिमिटेड को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत केवल भौगोलिक क्षेत्र आगरा (Agra GA) के लिए पैट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) द्वारा सी0एन0जी0 की आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया है। इस अधिकृत क्षेत्र की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्रों/जनपदों के लिए ग्रीन गैस लि0 अधिकृत नहीं है। ग्रीन गैस लि0 अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र/जनपदों (ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र) अर्थात् फिरोजाबाद, वृन्दावन, भरतपुर, कोसी कलां, हाथरस आदि क्षेत्र गैस लि0 एवं मथुरा क्षेत्र टोरेन्ट गैस से सम्बद्ध है।

जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा के अनुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों की दर निर्धारण भारत सरकार के स्तर से किया जाता है, अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों की रियायती दर 50 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा में गैस पाईप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में अध्यावधिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्रीन गैस लि0 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं/सुझावों के कम में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने बिन्दु/प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में अबाध विद्युतापूर्ति के सम्बन्ध में रिट याचिका (सि0) सं0-13381/1984 के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.1996 एवं 30.12.1996 को पारित निर्णयानुक्रम में जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस (उ0प्र0) के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत में अबाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 व प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का उल्लेख करते हुये पत्र प्रेषित कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।


(कार्यवाही-ए0डी0एम0(ना0आ0)/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/समस्त कार्यदायी संस्थायें/आ0वि0प्रा0/नगर निगम/एन0एच0ए0आई0/ग्रीन गैस लि0/डी0एफ0ओ0/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-03 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों द्वारा सड़क व नालियों की सफाई प्रतिदिन करायी जा रही है। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह का कार्य कम्पनी द्वारा प्रतिदिन करायी जा रहा है। मैकेनिकल + स्वीपिंग मशीन द्वारा डिवाइडरों के सहारे व सड़क की पटरी की सफाई का कार्य प्रतिदिन करायी जा रहा है। शौचालयों की सफाई कम्पनी द्वारा प्रतिदिन करायी जा रही है। रोड साईट की डस्ट को सफाई मित्रों द्वारा प्रतिदिन सफाई कराकर हटायी जा रही है एवं नालों से निकाली गई सिल्ट का उठान 24 घण्टे के अन्दर में प्रतिदिन करायी जा रहा है। ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में सफाई कार्य डोर-टू-डोर कलैक्शन हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था में मै0लायन्स सर्विसेज प्रा0 लि0 के माध्यम से प्रतिदिन सफाई कार्य, सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण, मैकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालय की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत 1561 सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन सफाई करायी जाती है। व्यवसायिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुबह एवं सांय 2 पालियों के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई का कार्य करायी जाता है। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कलैक्शन के सापेक्ष नगर निगम द्वारा माह अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 तक रू0 41,27,253/- रू0 यूजर शुल्क वसूली की गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत शहर के बीचों-बीच एन0एच0ए0आई0 की रोड एन0एच0-2 है, जिसको एन0एच0ए0आई0 द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा उक्त रोड पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कार्य नहीं कराये जाने पर नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को पत्र दिनांक 18.04.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से रोड पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर



लेने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम भरतपुर के अन्तर्गत 65 वार्ड हैं, जिनको 13 जोन क्षेत्रों में विभाजित कर सफाई कार्य प्रतिदिवस कराया जाता है, जिसकी निगरानी हेतु दो मुख्य सफाई निरीक्षक, 13 सफाई निरीक्षक एवं 65 सफाई जमादार नियुक्त किये हुये हैं, निगम द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में रात्रिकालीन सफाई करवायी जाती है। नगर निगम द्वारा निगम के 65 वार्डों से प्रतिदिवस घर-घर कचरा संग्रहण कार्य कराया जा रहा है।

नगर पालिका परिषद, हाथरस से प्राप्त सूचनानुसार सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत नगर में प्रातःकालीन एवं सांयकालीन सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त नगर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। नगर पालिका परिषद, हाथरस द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर भैसों को बंधने एवं उनका गोबर इत्यादि सार्वजनिक मार्ग/नाली में बहाने इत्यादि कृत्य के लिये सम्बन्धित के विरुद्ध उ0प्र0 प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियम अधिनियम (संशोधन) 2018 में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत 05 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गयी है।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त निकाय में 02 पार्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर पंचायत अवागढ़ (एटा) की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 10983 है, यहाँ पर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं है, जिससे वायु प्रदूषण की सम्भावना हो। निकाय के अन्तर्गत 11 वार्ड हैं, जिसे 02 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें एक-एक सफाई नायक एवं प्रत्येक वार्ड में 02-02 सफाई मित्र नियुक्त किये गये हैं। निकाय द्वारा निकाय के मुख्य बाजारों में रात्रि-कालीन सफाई से प्रतिदिवस घर-घर से गीला-सूखा कचरा संग्रह कार्य कराया जा रहा है, नाले एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट यथासमय हटवा दी जाती है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया है कि नगर निगमों के द्वारा प्रतिदिन सफाई का कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मेकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराया जाये। नगर निगमों के द्वारा शहर के मुख्य-मुख्य मार्गों की मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाये तथा रोड साइड डस्ट को रोड के किनारे से हटाकर रखा जाये ताकि डस्ट पुनः रोड पर जमा न हो सके। नालों एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट को किसी भी दशा में सड़क के किनारे न रखा जाये। इसी प्रकार ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की नगर पालिका परिषदों के द्वारा सफाई का कार्य, नालियों की सफाई, रोड डस्ट हटाया जाना, आदि कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/न0पा0प0/नगर पंचायत)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-04 (25.04.2022)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में कूड़ा न जलाये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि गत बैठक के निर्णयानुपालन में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने वाले एवं भाग न लेने वाले सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान शासन को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्र सं0 590 दिनांक 19.05.2022 प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भरतपुर (राज0) के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी पृष्ठांकित की गयी है।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था के साथ क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ भी कूड़ा कचरा जलाये जाने की सम्भावना है, वही पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है वर्तमान में कूड़ा जलाने की कोई भी घटना संज्ञानित नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दी गयी है। वित्तीय वर्ष अप्रैल व मई 2022 में ₹0 216500/- का जुर्माना वसूला गया है। नगर निगम द्वारा लैडर कटिंग को डिस्पोजल के लिए धांधपुरा प्लाण्ट पर भेजा जा रहा है।

[Handwritten signatures and marks]

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाते हुये कार्यवाही की जा रही है। माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक 17 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करते हुये रू0 29,400/- का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबन्धक, (पूर्वोत्तर रेलवे) इज्जत नगर, बरेली एवं मण्डल रेल प्रबन्धन, (उ0म0रे0) आगरा को रेलवे परिसर के अन्दर कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी सीमा में कूड़ा जलाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 09 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। कूड़ा जलाने पर 04 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर माह अप्रैल 2022 से 18.05.2022 तक रू0 20,000 का जुर्माना वसूला गया है तथा समस्त सफाई कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में कूड़ा न जलाने हेतु आदेशित कर दिया गया है तथा आमजनों को भी कूड़ा न जलाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। समस्त सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा न जलाने के सम्बन्ध में नगर निगम के जीवाराम हॉल में दिनांक 04.03.2022 एवं 14.03.2022 को प्रशिक्षण दिया गया है तथा सभी सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा जलाने के प्रति संवेदीकरण भी किया गया है। सर्दियों में शहर के चिन्हित स्थानों पर गैस के अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है। वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।

नगर पंचायत, अवागढ़ से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है। निकाय के वाहनों/पी0ए0 सिस्टम से प्रचार-प्रसार किया गया एवं नगर में रैली का अयोजन किया गया, इसी मध्य जनसामान्य एवं सभी सफाई मित्रों के साथ बैठक की गयी एवं प्रचार-प्रसार कराया गया कि किसी भी दशा में कूड़ा-कचरा जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है, तदुपरान्त निकाय द्वारा अभियान के दौरान कूड़ा जलाने वालों से भी जुर्माना वसूला गया है, यह प्रयास निरन्तर जारी रहेगा।


नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में कचरे को नहीं जलाने हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं एवं निगम के सफाई निरीक्षकों द्वारा प्रतिदिवस निरीक्षण कर ऐसे स्थानों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति शहर में कचरा नहीं जलाये।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ईट भट्टों का संचालन बंद है, जिनका पुनः संचालन जनवरी, 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट भट्टों में ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबन्धित वस्तुओं का प्रयोग किसी भी दशा में न होने के सम्बन्ध में ईट भट्टों के पुनः संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद-फिरोजाबाद में कुल 20 ईट भट्टे स्थापित हैं। उक्त सभी ईट भट्टे सीजन ऑफ होने के कारण माह जून-जुलाई से बन्द हैं, जो कि माह जनवरी से संचालित होंगे। सीजन में ईट भट्टे संचालित होने पर एस0डी0एम0 के साथ सभी ईट भट्टों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जायेगा तथा ईट भट्टों में उक्त प्रतिबन्धित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित ईट भट्टा संचालक/स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुये अधिनियमान्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2022 एवं दिनांक 08.07.2022 को ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ईट भट्टों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ईट भट्टे संचालित नहीं हैं तथा किसी भी ईट भट्टे पर लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक एवं खतरनाक अपशिष्टों के अवशेष नहीं पाये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-हाथरस के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित कुल 24 ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक 04.07.2022 एवं 05.07.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टों के परिसर में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबन्धित वस्तुओं का भण्डारण होता हुआ नहीं पाया गया तथा न ही ईंधन के रूप में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों का प्रयोग होता हुआ नहीं पाया गया।

h 28h



विस्तृत चर्चा उपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद-आगरा के अतिरिक्त अन्य जनपद-मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज0) में कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है। जबकि जनपद-भरतपुर (राज0) में न तो कोई चालान हुआ है और न ही जुर्माना वसूला गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। निर्देशित किया गया कि समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि कूड़ा/पेड़ों के सूखे पत्तों आदि किसी भी दशा में न जलने पायें, जलता हुआ पाये जाने पर क्षेत्र के सम्बन्धित सफाई निरीक्षक/पर्यवेक्षक के विरुद्ध सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भविष्य में कूड़ा जलने की घटनायें कम होनी चाहिये। समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा जनसामान्य को भी जागरूक किया जाये, जो प्रत्येक दशा में शीतकाल ऋतु से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये क्योंकि कूड़ा/सूखे पत्ते आदि जलने से होने वाला वायु प्रदूषण भी शीतकाल ऋतु में ए0क्यू0आई0 बढ़ने का एक मुख्य कारक है। समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा वांछित सूचनायें (डाटा) समय से अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम/न0पा0प0,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस व भरतपुर (राज0)

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जनपद-मथुरा में रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा न जलाये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में रेलवे को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, मथुरा)

जनपद-भरतपुर (राज0) के समस्त सम्बन्धित विभागों की सूचनायें/अनुपालन आख्यायें एकत्रित कर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0) द्वारा ए0डी0एम0 को नोडल अधिकारी नामित करते हुये, नामित नोडल अधिकारी के विवरण (नाम, मोबाईल नम्बर आदि) से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को सूचित किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0)

आगरा नगर निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि लैडर कटिंग किसी भी दशा में नालों/नालियों में डाली जाये। धांधपुरा प्लांट पर लैडर कटिंग का समुचित निस्तारण किया जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों का एस0डी0एम0 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग न होने दिया जाये। ईट भट्टों में उक्त प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उ0प्र0नि0बो0 द्वारा ईट भट्टा संचालकों को अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा/सम्बन्धित एस0डी0एम0/उ0प्र0नि0बो0)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा चिन्हित 12 प्रमुख स्थलों पर नगर निगम आगरा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये तथा उक्त चिन्हित स्थलों पर किसी भी दशा में सॉलिड वेस्ट बर्निंग न होने दी जाये। जिन स्थलों पर बहुतायात मात्रा में लैडर कटिंग पायी जायें, उन्हें नगर निगम द्वारा रात्रि के समय उठवाया जाये ताकि वेस्ट लैडर कटिंग को सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा जलाया न जा सके। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट लैडर कटिंग जलाता हुआ पाये जाये तो उसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयापूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें तथा विश्लेषण कर अगली बैठक में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये। गठित टीमों के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के जनपदों में निरीक्षण कराया जाये। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा)


h msh



ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन हेतु नगर निगम क्षेत्र के लिए पीपीए मॉडल पर बैंगलोर की अनुबंधित फर्म मै०स्वच्छता कॉरपोरेशन द्वारा 94 वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर डोर-टू-डोर कचरा कलैक्शन कार्य किया जा रहा है। ताजमहल के आस-पास 06 वार्डों में कचरा एकत्रीकरण कार्य मै०लॉयन्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है। एकत्रित कचरा नगर निगम के प्रोसेसिंग प्लाण्ट में ले जाया जाता है। 05 टीपीडी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन, भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त की धनराशि ₹ 345.00 लाख के सापेक्ष निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु ₹ 150.00 लाख के सापेक्ष ₹ 90.00 लाख की प्रथम किस्त प्राप्त हुयी है। दिनांक 24.06.2020 की बैविनार में सचिव, नगर विकास द्वारा सुझाव दिया गया कि D-Centralized Waste Processing C&D Waste Plant 5.0 TPD के कम क्षमता के प्रस्तावित किये जायें, जिससे अनुज्ञा सम्बन्धी औपचारिकताएँ न करानी पड़े। उक्त परिप्रेक्ष्य में 5.0 टीपीडी क्षमता का एक प्लाण्ट स्थापित कराये जाने तथा तीन वर्ष की अवधि में प्लाण्ट का संचालन एवं रख-रखाव पर व्यय होने वाली धनराशि आगामी वर्षों में प्राप्त धनराशि से वहन किया जाएगा। उपरोक्तानुसार 01 Number Plants C&D Waste Plant की ई-निविदा/RFP दिनांक 10.08.2020 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें चयनित फर्म द्वारा दिनांक 15.05.2022 को कार्य प्रारम्भ किया गया है। सी० एण्ड डी० वेस्ट हेतु 150 मीट्रिक टन क्षमता का प्रोसेसिंग प्लाण्ट पी०पी०पी० मोड पर स्थापित किये जाने हेतु मै०आईज इलेवन आगरा वेस्ट मैनेजमेन्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, उस पर भी मा०सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब अनुमति प्रदान कर दी गयी है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट लगाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त से सम्बन्धित सभी प्रकार की एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट लगाये जाने के लिये भूमि पूजन भी किया जा चुका है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू पर 180 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट क्रियाशील है। उक्त प्लाण्ट का संचालन नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा स्वयं के संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत से प्रतिदिन एकत्रित होने वाले लगभग 150-180 टन कचरे का प्रसंस्करण कर खाद बनाया जा रहा है। माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक कुल 848.31 टन को निर्धारित ₹ 311 प्रतिदिन की दर से ₹ 2,64,323/- में विक्रय किया गया है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू में सूखे कचरे के निस्तारण हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मैटेरियल रिकवरी सेन्टर का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन पीपीई मोड पर 21वीं संचुरी पॉलिमर्स संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित होने वाले सी० एण्ड डी० वेस्ट के निस्तारण हेतु 50 टन प्रतिदिन क्षमता का सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत यमुनापार नगला कोल्हू पर कचरे का पृथक्कीकरण कर प्राप्त होने वाली पॉलीथिन एवं प्लास्टिक आदि से पैटर्सन एनर्जी संस्था के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट टू फयूल प्लाण्ट के माध्यम से ईंधन बनाया जा रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 06 टन प्रतिदिन है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत वृन्दावन जोन में हजारी मल सोमानी ग्राउण्ड के निकट 05 टन क्षमता का ऑर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट 10 टन क्षमता वाला एम.आर.एफ., मण्डी समिति वृन्दावन में 01 टन क्षमता का ऑर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट एवं मांट रोड पर ट्रांसफर स्टेशन निर्मित कराये गये हैं, जो वर्तमान में क्रियाशील हैं। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के नगला कोल्हू प्लाण्ट पर एकत्रित 2.60 लाख टन लीगेसी के निस्तारण हेतु शासन द्वारा ब्लैक बैरी ओवरसीज संस्था को अधिकृत किया गया है। संस्था द्वारा प्रथम ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 23.10.2021 को एवं द्वितीय ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 10.12.2021 को स्थापित कराते हुये प्रतिदिन संचालन कार्य प्रतिदिन 02 पालियों में कराया जा रहा है। इस प्रकार लगभग कुल 55,000 टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कलैक्शन एवं सेग्रीगेशन के कार्य हेतु मै०लाइन सर्विसेज इण्डिया प्रा० लि०, नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, समस्त 70 वार्डों में उक्त फर्म के द्वारा डोर-टू-डोर कलैक्शन एवं सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है।



अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुये प्रोसेसिंग प्लाण्ट पर पहुँचाया जाता है, जहाँ गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है एवं यथासम्भव सूखे कचरे को पुनर्चक्रण किया जा रहा है। टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 को अंगीकृत कर नियमावली में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चनौरा स्थित टोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर 02 एम.आर.एफ. का निर्माण पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। मै0मुस्कान इंटरप्राइजेज द्वारा एम.आर.एफ. का संचालन अपने संसाधनों एवं श्रमशक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। एम.आर.एफ. की क्षमता वृद्धि हेतु मशीनरी की स्थापना के लिये 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की बैठक में ₹0 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मशीनरी की स्थापना हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। 05 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लाण्ट स्थापित किया गया है, जो क्रियाशील है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अन्तर्गत कुतुकपुर चनौरा स्थित 3300 वर्गमी0 भूमि पर 250 टीपीडी क्षमता के वेस्ट टू कम्पोस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शासन में उच्च स्तरीय समिति के समक्ष सी0 एण्ड डी0 वेस्ट के प्रोसेसिंग प्लाण्ट का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। निर्माण एवं विध्वंश के निस्तारण हेतु तैयार की गई डी0पी0आर0 का अनुमोदन प्राप्त कर नगर निगम फिरोजाबाद में 50 टन क्षमता का सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट की स्थापना हेतु ₹0 2.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्लाण्ट हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्लास्टिक एवं टोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में निगम द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु मै0रोल्ज मैटेरियल हैण्डलिंग सिस्टम प्रा0लि0 को कार्यादेश जारी किया गया है। प्रसंस्करण संयंत्र की सहायता से नगर निगम भरतपुर क्षेत्र में निकलने वाले कचरे से कम्पोस्ट RDF बनाया जायेगा। संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन किया गया है। शीघ्र ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर परियोजना संयंत्र की स्थापना कर निस्तारण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, हाथरस से प्राप्त सूचनानुसार नगर में डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। वर्तमान में नगर में लगभग 52 एम.टी. कूड़ा प्रतिदिन उत्पादित होता है। उक्त उत्पादित कूड़े का निष्पादन पालिका की डम्प साईट पर किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों के तहत कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हेतु शासन द्वारा नामित संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 अलीगढ़ द्वारा प्लाण्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट तत्काल प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा नामित उक्त संस्था द्वारा ही एकत्र लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शीघ्र ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु एम.आर.एफ. सेन्टर का निर्माण कराकर सम्बन्धित मशीनों की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी है, अतिशीघ्र मशीनों का इंस्टॉलेशन कराकर सूखे कूड़े का निस्तारण कराया जाना प्रस्तावित है।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय सीमान्तर्गत मौजूद कुल 11.वाडों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन का कार्य विभागीय स्तर पर सम्पादित कराया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक घर से यूजर चार्ज लिया जा रहा है, अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुये गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है, टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 अंगीकृत करने हेतु उपविधि तैयार कर समाचार-पत्र में प्रकाशित करा दिया गया है, अति शीघ्र अन्तिम गजट हेतु राजकीय मुद्रालय, प्रयागराज को प्रेषित कर दिया जायेगा। नगर पंचायत, अवागढ़ में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 5 टन की क्षमता वाला एम.आर.एफ. सेन्टर बनाया गया है, जो कि निकाय द्वारा संचालित है। इसी क्रम में गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 1 टन क्षमता की कम्पोस्ट मशीन लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 4 टन क्षमता की कम्पोस्ट पिट तैयार की गयी है, जिससे कूड़े का शत-प्रतिशत निस्तारण कर दिया जाता है। नगर पंचायत, अवागढ़ से निकलने वाले प्रतिदिन कूड़े-कचरे का शत-प्रतिशत उठान कर डम्पिंग ग्राउण्ड पर निस्तारण किया जाता है एवं खतरनाक कूड़े के निस्तारण के लिए साइन्टिफिक लैण्डफिल तैयार कर दी गयी है, जहाँ पर खतरनाक कूड़े को एकत्रित कर लिया जाता है। निकाय द्वारा नगर क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े-कचरे, सिल्ट आदि का उठाने प्रतिदिन यथासमय शत-प्रतिशत कराया जा रहा है। सूखे कूड़े का निस्तारण एम.आर.एफ. सेन्टर पर मैनुअल कराया जा रहा है एवं गीले कचरे का पृथक्कीकरण उपरान्त एम.आर.एफ. में बने कम्पोस्ट पिट में डालकर खाद बनाया जा रहा है तथा सूखे कचरे को पृथक्-पृथक् रखा जाता है, मैकेनिकल संचालन हेतु मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं। लाईट का कनेक्शन होने के उपरान्त मैकेनिकल निस्तारण कराया जायेगा, अवशेष कूड़े का डिस्पोजल डम्पिंग ग्राउण्ड में कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि छावनी परिषद् द्वारा ट्रेडिंग ग्राउण्ड, सेवला पर लिगेसी वेस्ट एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2022 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय कैंप्टोनमेण्ट बोर्ड द्वारा अनुबन्धित फर्म मै०दयाचरण एण्ड कम्पनी द्वारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कार्य किया जाता पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.05.2022 से 14.06.2022 तक लगभग 42 टन कम्पोस्ट तैयार किया गया, जिसे विभिन्न ग्रामों में उपयोग हेतु निःशुल्क दिया जा रहा है। डम्पिंग स्थल पर लिगेसी वेस्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण की प्रक्रिया होती हुयी पायी गयी।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों के द्वारा पूर्व स्थापित प्लाण्ट्स में कोई क्षमता वृद्धि की गयी हो, कोई नया प्लाण्ट स्थापित किया गया हो, गत बैठक तथा वर्तमान बैठक की अवधि में स्थापित/संचालित अथवा प्रस्तावित प्लाण्ट्स की अद्यतन स्थिति क्या है, के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये। नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त प्रस्तावित प्लाण्ट्स की स्थापना शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये, जिनका संचालन पर्यावरणीय सुधार के लिए श्रेयस्कर हो। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत)

निर्देश दिये गये कि छावनी क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट, लीगेसी वेस्ट, बायोमायनिंग के सम्बन्ध में छावनी परिषद् द्वारा समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा छावनी परिषद् के गन्तव्य स्थल का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये। कृत कार्यवाही से बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-छावनी परिषद्/आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (25.04.2022)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा मै०जे०आर०आर० कम्पनी की लॉग-बुक के अनुसार चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सत्यापन कराया गया है।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दिनांक 31.03.2022 को आर०बी०एस० इण्टर कॉलेज के पास रखे कम्प्यूनिटी बिन्स में एक व्यक्ति बायो-मेडिकल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट में डालने का प्रयास कर रहा था, उससे पूछने पर वह ज्ञात हुआ कि उक्त बायो-मेडिकल वेस्ट सनराइज डाइग्नोस्टिक्स, बाग फरजाना से लाया गया था। खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा उक्त वेस्ट को तत्काल वापस करा दिया गया तथा निस्तारण हेतु इस वेस्ट को मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि० को हस्तगत करने की कड़ी चेतावनी दी गयी। इसके अतिरिक्त इस कृत्य के लिये सनराइज डाइग्नोस्टिक्स पर रू० 5000/- का शमन शुल्क अधिरोपित कर वसूला गया। नगर निगम के खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दिनांक 06.05.2022 को पाया गया कि हैरीटेज हॉस्पिटल के एक कर्मचारी द्वारा बाईपास स्थित बन्द कराये गये डलाबघर पर बायो-मेडिकल वेस्ट डाला जा रहा था, जिसके निस्तारण हेतु मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि० को हस्तगत करने की चेतावनी दी गयी एवं हैरीटेज हॉस्पिटल पर रू० 5000/- का शमन शुल्क अधिरोपित कर वसूला गया।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन व निस्तारण का कार्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, आगरा की संस्था द्वारा किया जाता है तथा अगर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर जैव अपशिष्ट फेंका जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित नर्सिंग होम/हॉस्पिटल/क्लीनिक/पैथोलॉजी, आदि प्रतिष्ठान से प्रतिदिन उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा एवं निस्तारण करने वाली कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने



एवं उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कुल 119 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला चिकित्साधिकारी, मथुरा द्वारा संस्था नामित की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर कोल्हू प्लाण्ट पर पहुंचने वाले वेस्ट का निरीक्षण प्लाण्ट के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी स्थिति में टोस कचरे में मिश्रित न हो इसके लिये मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं जमादारों को निर्देशित कर पालना करायी जा रही है ताकि कोई भी अस्पताल द्वारा इस प्रकार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को खुले में न फेंका जाये।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से घरेलू टोस अपशिष्ट एवं अन्य स्थलों पर एकत्रित टोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, वर्तमान में कोई भी सूचना प्रकाश में नहीं आयी है।

निर्देश दिये गये कि समस्त नगर निगमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि टोस अपशिष्ट हेतु चिन्हित निर्धारित स्थलों पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी दशा में न डाला जाये तथा उक्त प्रकार की घटनायें संज्ञान में आने पर ऐसी हैल्थ केयर फेसेलिटीज को चिन्हित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। मै0जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 का मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाये तथा निरीक्षण आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हैल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित बायो मेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का नियमित सत्यापन कराया जाये। किसी भी दशा में हैल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित प्लास्टिक वेस्ट शहर में स्थित कबाड़ियों को विक्रय हेतु उपलब्ध न कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/मु0चि0अ0/नगर निगम/उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर/
के0प्र0नि0बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-07 (25.04.2022)

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में गठित संयुक्त समिति द्वारा बनाये गये एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त गैंगसा इकाईयों को नोटिस प्रेषित किये गये हैं तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा सूचित किया है कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों के आस-पास वृक्षारोपण कार्य हेतु 5000 पौधे उपलब्ध कराये गये, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा ने जनपद आगरा की 43 स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों में मियावाकी पद्धति आधारित पौधारोपण किया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में पूर्व बैठक में प्रस्तुत एक्शन प्लान का समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालनीय कार्यवाही से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, जिसे मा0अधिकरण द्वारा नोडल विभाग नामित किया गया है, को अवगत कराया जाये। उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्र0नि0बो0,आगरा/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

h 286

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2022 द्वारा इकाई का आवासीय क्षेत्र में संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द करते हुये इस आशय का शपथ-पत्र एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा इकाई की स्थापना औद्योगिक/अनुमन्य क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये जाने तथा रिहायशी क्षेत्र में इकाई का संचालन न करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त न होने की दशा में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा इकाई बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुस्मारक नोटिस प्रेषित किये गये हैं। टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 15 इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के विद्युत विच्छेदन किये गये हैं। ग्राम-लखनपुर में एक सी.ई.टी.पी. स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। पूर्व में ग्राम-लखनपुर के पास 30 इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विस्थापित किये जाने के लिए स्थल चिन्हित किया गया था, जहाँ पर 30 इकाइयाँ विस्थापित हो सकती हैं।

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति पत्र के बिना संचालित इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध जल संयोजन विच्छेदन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

प्राप्त इकाइयों की संख्या	जल संयोजन रहित इकाई	विभाग द्वारा किये गये विच्छेदन की संख्या	पता ट्रेस न होने वाली इकाइयों की संख्या	अवशेष इकाइयों की संख्या
108	17	43	07	41

अधिकांश अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना रिहायशी क्षेत्र में संचालित 15 इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये गये हैं।

प्रभारी प्रवर्तन, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से प्राप्त सूचनानुसार रकाबगंज वार्ड के अन्तर्गत श्री रतन लाल द्वारा सम्पत्ति सं०-11/13, गुदड़ी सूत, नाई की मण्डी, आगरा में कुसिबल फर्नेस में ईंधन के रूप में एल०पी०जी० गैस का प्रयोग कर स्क्रैप एल्यूनियम गलाकर, एल्यूनियम के पिस्टन बनाने का कार्य किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त इकाई संचालनकर्ता के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन का वाद योजित किया गया तथा स्थल पर उक्त इकाई के संचालन को बन्द करा दिया गया। ताजगंज एवं रकाबगंज वार्ड के रिहायशी क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे उपरान्त संज्ञान में आने वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों की उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि० एवं जल संस्थान को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार, इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के स्थायी/अस्थायी विद्युत संयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। इसी प्रकार यदि इकाइयों में अवैध रूप से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है तो भूगर्भ जल विभाग के द्वारा अवैध समर्सिबल को जब्त कर बन्द कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-प्रबन्ध-निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि०/जल संस्थान/भूगर्भ जल विभाग/
उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा)

गत बैठक के निर्णयानुसार टोरण्ट पॉवर लि० का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने के कारण टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी, जिस पर रोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि टोरण्ट पॉवर लि० को इस आशय का कड़ा पत्र प्रेषित किया जाये कि उनके द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की 57वीं बैठक में किन कारणों से प्रतिभाग नहीं किया गया। टोरण्ट पॉवर लि० के सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की वांछित अनुपालन आख्या/सुसंगत सूचनाओं सहित अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यवाही-टोरण्ट पॉवर लि०/टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु-

टी०टी०जैड० प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत 02 तकनीकी कार्मिक, 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 01 आशुलिपिक एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यकाल में 06 माह (दिनांक 01.01.2022 से 30.06.2022 तक) की समयवृद्धि हेतु मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक 31.12.2021 एवं नवीनतम समयवृद्धि 06 माह (दिनांक 01.07.2022 से 31.12.2022 तक) सम्बन्धी प्रदत्त अनुमति दिनांक 22.06.2022 पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।



(अमित गुप्ता)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी.टी.जैड.प्राधिकरण, आगरा।

h msh



सदस्य-संयोजक
टी० टी० जैड० प्रा०, आगरा

जिलाधिकारी,
आगरा

नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस.
Naresh Pal Gangwar, IAS



अपर सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ADDITIONAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: August, 2023

Dear smt. Hemalata Diwakar ji,

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change has issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Sarvekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for taking air quality improvement measures in their Cities. All 131 cities have been requested to submit the self-assessment reports for FY 2023-24. Based on the self-assessment reports submitted by 131 cities, Central Pollution Control Board (CPCB) has conducted the evaluation of these cities reports in line with the guidelines of Swachh Vayu Sarvekshan. Accordingly, the following cities have been selected as best performing cities under three categories for FY 2023-24.

Category		Cities	Score out of 200
Category 1 (>10 lakh population)	1 st	Indore	187
	2 nd	Agra	186
	3 rd	Thane	185.2
Category 2 (3-10 lakh population)	1 st	Amravali	194
	2 nd	Moradabad	186.2
	3 rd	Guntur	185.5
Category 3 (<3 lakh population)	1 st	Parwanoo	193.6
	2 nd	Kala Amb	193
	3 rd	Angul	187.5

2. In this regard, your city will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh during Swachh Vayu Diwas 2023 scheduled to be held on 7th September at Kushabhau Thakre Hall - International Convention Center in Bhopal, Madhya Pradesh.

3. In view of the above it is requested to attend the Swachh Vayu Diwas 2023 to receive the cash award on behalf of your city.

Best wishes

Yours sincerely,

(Naresh Pal Gangwar)

Smt. Hemalata Diwakar
Mayor
Agra
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra - 282002

पृथ्वी विंग, पांचवा तल, कमरा नं. 505, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110003, फ़ोन: (011) 20819247, ई-मेल: asnpg.mefcc@gov.in

Prithvi Wing, 5th Floor, Room No. 505, Indira Paryavaran Bhawan, Jer Bagh Road,
New Delhi-110003, Tel.: (011) 20819247, E-mail: asnpg.mefcc@gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110 003
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD,
NEW DELHI-110 003
Website : moef.nic.in

Dr. Prashant Gargava
Director, NCAP

Dear Shri Khandelwal

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: 03rd September, 2024

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Survekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for air quality improvement measures. All 131 cities have submitted the self-assessment reports for FY 2023-24 which were evaluated by Central Pollution Control Board (CPCB) in line with the guidelines of Swachh Vayu Survekshan.

2. Based on the evaluation carried out for 131 cities, Agra city has been selected as one of the best performing cities and ranked third in the population category-1 (more than 10 lakh) under Swachh Vayu Survekshan, 2024.

3. In this regard, Agra will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Rajasthan during Swachh Vayu Diwas 2024 scheduled to be held on 7th September, 2024 at Jaipur Exhibition and Convention Centre in Jaipur, Rajasthan.

4. I extend cordial invitation to join the Swachh Vayu Diwas, 2024 along with Hon'ble Mayor to receive the cash award on behalf of your city.

With regards

Yours sincerely,

Prashant

(Prashant Gargava)

Shri Ankit Khandelwal
Municipal Commissioner
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra - 282002, Uttar Pradesh





ttz pmu <ttzpmu2@gmail.com>

Fwd: Regarding power availability information for April to Sep 24 month in TPL area of operations

1 message

RO Agra <roagra@uppcb.in>
To: ttz pmu <ttzpmu2@gmail.com>

Tue, Oct 15, 2024 at 12:08 PM

----- Forwarded message -----

From: <RajatK@torrentpower.com>

Date: Fri, Oct 11, 2024 at 10:51 AM

Subject: Regarding power availability information for April to Sep 24 month in TPL area of operations

To: <roagra@uppcb.in>

Cc: <bhupendrasingh@torrentpower.com>

Dear Sir,

With reference to cited subject lines & in reference to instruction by your good office, we are enclosing the power availability report in TPL area of operation (Agra District) for last 06 Months; kindly find enclosed information.

Sr no	Month	Power Availability (HH:MM)
1	Apr-24	23:55
2	May-24	23:50
3	Jun-24	23:49
4	July-24	23:53
5	Aug-24	23:55
6	Sep-24	23:53

gards,